SHRI SURESH PACHOURI: Sir, I introduce the Bill.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL 1993 (to amend article 348)

SHRI SURESH PACHOURI (MADHYA PRADESH): I beg to move r leave to introduce a Bill further o amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SURESH PACHOURI. Sir, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Shri Krishan Lal Sharma. Not present.

THE RESERVATION OF POSTS FOR WOMEN IN GOVERNMENT SERVICES BILL, 1993.

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश) : प्रस्ताव करती हूं कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाकर समाज में उनकी दशा सुधारने हेतु सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिये पदों का आरक्षण तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

The question was put and the motion was adopted.

श्रीमती वीणा वर्मा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

THE WORKING WOMEN (PROVISION OF BASIC FACILITIES AND INFRASTRUCTURE) BILL, 1993.

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि सरकार की विभिन्न स्थापनाओं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, कारखानों, खानों, बागानों, कृषि क्षेत्रों, बागीचों तथा इसी प्रकार के अन्य स्थानों के कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिये कल्याणकारी उपायों तथा उसके तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

The question was put and the motion was adopted:—

श्रीमती वीणा वर्मा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

THE BANNING OF COMMUNAL POLITICAL PARTIES BILL, 1993—CONTD.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Shri John F. Fernandes, I am taking your name with all care. I think the TV people will also take note of it.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Sir, I am resuming my speech on the discussion of the Bill moved by my hon. colleague Ahluwalia Ji—the Banning of Communal Political Parties Bill, 1993. I have already detailed many points in support of this Bill. Because I made the speech on 1st March 1993, I would like to refer to what I said then. In my speech I had said how the non-secular States are going to disintegrate and they have already disintegrated. My point has been proved. We have seen across the border. See what has happened there with the so-called elected Government there It was my argument that democracy can be sustaind only with secularism.

Since my last speech there are positive signs in Parliament. Only yesterday the hon. Home Minister has said in the Lok Sabha that the Government is going to come up with a comprehensive legislation to see that communalism was totally rejected from our political life. Last time before concluding my speech I had mentioned that it was high time for us to revamp our whoe constitutional system. We have to give a second

[Shri John F. Fernandes]

thought to our Constitution. Just before I was asked to take my seat I had mentioned that it was high time that we had a Constitutent Assembly. It is not that the Parliament has no power to amend the Constitution. This Parliament can sit as a Constituent Assembly. It has got that power under the same Constitution in Article 368, part XVIII of the Constitution. We have the power to amend the Constitution. But I had mentioned that both the chambers are full of politicians. We are politicians and we have our own interests. Any person who has a larger interest of the nation at heart will be the one who has no vested interests in politics. Therefore, I was suggesting that it was high-time that we gave a thought to it and appointed a second Constituent Assembly of eminent personalities of this country — the intellectuals, the experts — to see that this element of bringing in communalism in public life was nipped in the bud in the Constitution and not by some other laws like the One we had—the Representation of the People Act, 1951. Mr. Vice-Chairman, Sir, whenever we get elected at the Assembly level or the Parliamentary level, we come here and take an oath to uphold the Constitution. But I don't think that we are very serious about it. After taking oath, we go out and we defy the same Constitution. So there is no mandatory provision in the Constitution. There is no penal provision in the Constitution. Therefore, it will be pertient to say that we don't rely on the Representation of the People Act 1951 to see that Act, whoever defies any electoral law is disqualified for six years. I don't think it is proper. We are also having the Anti-Defection Act and the Tenth Schedule. It was passed in 1985. We have seen under that Act, there is no penal clause. A person who gets elected can make a lot of money. In fact, when he is disenfranchised, he can get re-elected. There is no penal provision. Therefore I would suggest that all our laws, specially election laws should be such that whenever anyone violates this whenever anyone violates the spirit of the Constitution that person, that citizen should be debarred, disenfranchised for life. That should be the punishment. I don't think we should have one more type of Act like the Anti-Defection Act where you can come in the House the next day. Once a person is disqualified, he will go to the people and get re-elected. He can make some money. He can distribute the money. He can buy votes and come to the House. So it makes a mockery of the system. It makes a mockery of the institution. So it is high time that we rise to the occasion, we rise above narrow parochial ends, narrow political affiliation and see that we have a comprehensive Bill right in the statute, right in the Constitution. I do not know what the hon. Home Minister has in his mind. However, he has mentioned yeterday that he will comeforward with some Bill, we will have an opportunity to discuss about that Bill . I feel and my coleagues also feel it wil be outdated and nullified. I hope he will not withdraw it but press for it.

We should have such a law that the candidate should not only owe allegiance to the Constitution when he files his nomination but he should also give one more affidavit saying that in no way he or his party or his supporters will be involved to incite communal sentiments among the voters. We know that political parties who are professing communalism have good cadres. Most of their orgainsations have been banned. There is a possibility of these cadres going to the voters and inciting them communally. So I feel anyone it is not only the candidate any other citizen inciting the voters communally should be taken to task. It should be made a cognizable offence. Only then I feel we wi be protecting the real spirit of secularism.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I do not know what the hon. Home Minister has in his mind. But I hope my

humble suggestions will be taken into **consideration**.

Last time I was saying that there was a cause for Mr. Ahluwalia to see that this Bill was enforced from the 6th December, 1992 because 6th December was the darkest day for our country. We have seen the aftermath of 6th December on 12th March, 1993. I think the incident of 12th March, 1993 should put a full stop to the illfeeling created by the fundamentalist organisations in our country with a view to divide our people, with a selfiish motive to grab power and to grab the chair. I hope they will rise to the occasion, they will give up their shortsighted aims to grab power and see that they cooperate and see that the country is not divided, the country is not compartmentalised on community basis and on race basis. We should evolve some new statute for a real secular State so that true democracy, a living democracy can be ushered in in our country. With these few submissions, Mr. Vice-Chairman I fully support and endorse this Bill and I hope that this will see the light of day soon. Thank you.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री एस०एस० अहलुवालिया इस सदन के अन्दर जो बेनिंग ग्राफ कम्युनल पोलिटिक्स पार्टीज बिल लाये हैं, उसमें दो तीन मुख्य धारायें हैं। क्लाज (2) में उन्होंने जो लिखा है—

"(a) "Communal political party" means any poltical party which uses religion for electoral gains and indulges in sectional appeal to serve its communal interests and whose activities are against the national interest;"

यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने इस बिल में लिखी है। क्लाज (3) में में जो है—

"Notwithstanding anything contained in the Representation of the People Act, 1951 or any other law for the time being in force all communal political parties in the country State Legislature and Parliament or not are hereby banned and stand derecognised."

यह दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो उन्होंने बिल में कही हैं। स्टेटमेंट ग्राफ ग्रोब्जैक्टस एंड रीजस के सेकेंड पैराग्राफ में यह बताया है—

"Our country is a developing nation. It is far behind the developed countries of the world. In such a hard and competitive era India can improve her economic condition only when the secular nature of the polity is consistently maintained and impetus is given to the economic growth of the country."

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह तीनों प्वाइंट जो उन्होंने लिये हैं, मैं उनका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। इसके अलावा अगर कोई कंट्री डवलप्ड हो, अनडवलप्ड हो उस देश की जनता के दिल में अगर सांप्रदायिकता की भावना पैदा होती है तो उसका सारा डवलपमेंट समाप्त हो जाता हैं। जब भारत अंडरडवलप्ड अविकसित राष्ट्र है, इस दृष्टि से यहां से सांप्रदायिकता को खत्म करना बहुत जरूरी है। यदि हमें अपने भारत के अस्तित्व को जिंदा रखना हैं तो यह बहुत जरूरी है कि हमें राजनीतिक और सामाजिक जीवन से सांप्रदायिकता को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। अगर हम इसे नष्ट नहीं करेंगे तो हमारा राष्ट्र ही नष्ट हो जायेगा। हम देख रहे हैं कि, राजनीति में आज से 25–30 वर्ष से कांग्रेस में काम कर रहा हूं, तब से चुनाव में सांप्रदायवाद के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। कई बार उनको इसमें सफलता भी मिल जाती है और कुछ सांप्रदायिक लोग सांप्रदायिकता का प्रचार करके असेम्बली पर या पालियामेंट में चुनकर आ जाते हैं। संसद तक जो लोग आते है वे यह देखते हैं कि जिन सिद्धांतों पर वे निर्वाचित हुए हैं, जिन सिद्धांतों पर संसद में आ चुके हैं, उन सिद्धांतों को पूरी तरह से रक्षा करने का प्रयास करत

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव

हैं। महोदय, आपको जानकारी है तथा सारा राष्ट्र और पूरी दुनियां जानती है कि इसी संप्रदायवाद की भावना का शिकार हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी हुये। जातिवाद का शिकार, सांप्रदायिकता का शिकार हमारी महामहीम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी हुई। लगभग दो वर्ष पहले हमारे रहनुमा, सारी दुनियां को आधुनिकता का नया संदेश देने वाले हमारे महामहीम नेता राजीव गांधी जी भी इसी का शिकार हुये। इसके कारण देश में कितनी विपत्तियां आई हैं। हम यह देख रहे हैं कि कश्मीर में, पंजाब में और अन्य कई जगहों पर बम ब्लास्ट हुये। अभी बम्बई में बम ब्लास्ट हुये हैं। इन सारी बातों से राजनीति में कम्युनल फीलिंग आती है, जातिवाद की भावना आती है, इंसान इंसान से अलग ढांचे से सोचने लगता है, तब हमारा खुद का अस्तित्व समाप्त होता है। देखा जाय तो जन्म से कोई हिन्दू नहीं होता, मुसलमान नहीं होता, हरिजन नहीं होता, सिख नहीं होता, मगर कुछ लोग इस देश में ऐसा संदेश देकर गए हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं इस सदन में कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मूल पुरुष गोलवरकर थे। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें यह कहा है कि मनुष्य जन्म से जिस जाति में पैदा होता है, अगर वह ऊंची जाति में पैदा होता है तो वह ऊंचा होता है। अगर नीची जाति में पैदा होता है तो वह नीच होता है। ऐसा उन्होंने लिखा है। उन्हीं के सिद्धांतों पर बना हुआ पक्ष कभी भगवान का नाम लेता है, कभी गंगा-जल का नाम लेता है और सारे देश को, हमारे निधर्मी ढांचे पूरी तरह से उथल-पुथल करने का प्रयास करता है।

हमारे मित्र अहलुवालिया जी जो विधेयक लाये हैं उसके पीछे की भावना यही है कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो भी कोई आता है जो भी मनुष्य, आर्गेनाइजेशन, संगठन आता है उसको अपनी जाति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए।

मैं उस दिन टीवी पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्पीच सुन रहा था जो उन्होंने लोकसभा में दी थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद के बारे में हमें अपने छोटे-छोटे मतभेदों को दूर कर, पार्टी के लेविल को भूलकर उसके ऊपर होकर सोचना चाहिए। अगर यही भावना उस पार्टी के अंदर पैदा हो गई है तो मुझे नहीं लगता है कि उनका हम विरोध करेंगे और सारा देश विरोध करेगा। मगर कही कुछ करो कुछ ऐसी राजनीति से वह पार्टी चलती है। अगर 6 दिसम्बर की घटना नहीं होती इस देश में, अगर अयोध्या में प्रभु राम के नाम पर मस्जिद गिराई जाती है—प्रभु राम ने पहली बार इस दुनिया में निधर्मी संदेश दिया था, इसी लिए उनको भगवान माना जाता है कि उन्होंने एक शबरी नाम की आदिवासी महिला के जूठे बेर खाए थे। झूठे बेर खाने वाले वे इन्सान ईश्वर हो सकते जैसे कि भगवान कृष्ण पैदा हुए जिन्होंने दुष्टता का अंत पांच आदमियों की साथ लेकर किया, महाभारत किया, वे भी ईश्वर हो सकते हैं और इन्होंने किसी ने भी धर्म का कोई असंदेश इस दुनिया में नहीं दिया। राम हो या रहीम हो कृष्ण हो या यीशू क्राइस्ट हो या गुरु नानकदव हों या भगवान बुद्ध अथवा मोहम्मद पैगम्बर हों, सबने इस दुनिया के अंदर मानवता का संदेश दिया। कहते हैं कि कोव भी धर्म आपस में भेदभाव करना नहीं सिखाता है। वे तो सब मानवता का संदेश देते हैं। मगर हम अपने स्वार्थ के लिए उसको गुरुद्वारे, गिराजाघरों और मन्दिरों में बांट लेते हैं और लोगों को बहकाते हैं और अपने थोड़े से राजनीतिक स्वार्थ के लिए वोट पाने के लिए हम समाज में एक दरार पैदा करते हैं। अब उसको खत्म करने की बात आई है। अगर हम उसको खत्म नहीं करेंगे तो हम खुद खत्म हो जायेंगे। समय आ गया है कि सरकार को इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए।

आज काश्मीर को भड़काया जा रहा है। पाकिस्तान भड़काता है, और कई राष्ट्र भड़काते हैं। हमारे देश में अलग-अलग धर्म के नाम पर कुछ चल रहा है,

कुछ पार्टियां चल रही हैं तो उनके हाथ में यह एक हथियार है और इसी का फायदा उठाकर वे लोगों को, कामन आदमी को, सामान्य जनता को बहकाने का प्रयास करते हैं। कुछ राजनीतिक नेता और कुछ धर्म गुरू ही ये सारी बातें करते हैं, इस देश के अंदर ऐसी बातें पैदा करते हैं, इन भावनाओं को भड़काते हैं। आम आदमी को उसस कोई लेना-देना नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाला मुस्लिम भाई या इस बिल्डिंग में काम करने वाला एक हिंदु भाई, मजदूर जो है उसके तो पेट का सवाल होता है, उसका धर्म उसके पेट का धर्म होता है। उनके सामने न कोई अल्लाह होता है न ईश्वर होता है, न कोई गुरू, गुरुद्वारा होता है, न और कुछ होता है। यह बात जरूरी है :

अब हमको ये जो छोटे-छोटे दायरे हैं धर्म के इनसे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। यह हमारे देश में ही क्यों होता है। यह भी सच है कि जहां गरीबी ज्यादा होती है, अविकास होता है, डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होता है वहां ऐसी बातें कहकर इन गरीबों को भड़काया जाता है क्योंकि वे अपने हक की मांग सरकार के सामने न रखें। इसके पीछे भी यह एक बड़ी साइकालाजी, एक बड़ा सिद्धात होता है। अगर इसको हमें समाप्त करना है तो सिर्फ आज एक ही चारा बचा है हमारे सामने जैसे कि अहलुवालिया जी यह विधेयक लाए हैं। बहुत ही राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर उन्होंने कहा है कि यह आखिरी पुकार है हमारे देश की जनता की, भाइयों राजनीति से धर्म को हटा दो, हटा दो। जो कोई धर्म का सहारा लेकर अगर राजनीति करता है तो उसको पूरी तरह से हटाना चाहिए, उसको पूरी तरह से बैन करना चाहिए।

आप जानते होंगे मेरे ही प्रदेश में, महाराष्ट्र में 14 या 16 लोगों के इलेक्शन को बम्बई हाईकोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है क्योंकि उन्होंने धर्म का सहारा लेकर ये चुनाव लड़े थे। अभी दो दिन पहले शिव सेना के जो नेता हैं, मनोहर जोशी, जो महाराष्ट्र में विधान सभा में भी नेता रह चुके हैं, उनका भी इलेक्शन उन्होंने डिजाल्व कर दिया है, उसको सेट एसाईड कर दिया है और उन्होंने अपने नेता पद से भी इस्तीफा दे दिया है।

तो शिव सेना ने कहा था, बाल ठाकरे ने कहा था, चुनाव में गर्व से कहो कि हम हिंदु हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि गांधी जी के स्टेट्यू को हटा दीजिए और गोडसे का बिठा दीजिए। यह कौनसी जोत उनके दिल में जग रही है? यह कौनसा पाप उनके दिल में बस रहा है कि वह हमारे देश में गांधीजी के स्टैट्यू को हटायें और गोडसे का बिठायें। तो लोगों ने उनको बहुत अच्छी तरह से सबक सिखाया। मगर यह बातें जब होती हैं, तो इसको क्या डेमोक्रेसी कहते हैं। इसको तो मनोविकृति कहते हैं। जब आदमी मन से विकृत होता है, तो उसके मन में जातीयता और संप्रदायवाद का रीछ उसके दिल और दिमाग में आता है, तो आदमी बहक जाता है और वह कुछ भी कहने लगता है।

इसीलिए मैं आपके माध्यम से, मान्यवर, गृह मंत्री महोदय जी से यह अपील करना चाहता हूं कि यह सब बातें हटानी चाहिएं और एक ऐसा विधेयक लाना चाहिए कि जो भी कोई पार्टी धर्म के नाम पर सामने आती है, तो उसे पूरी तरह से बैन करना चाहिए।

अब भारतीय जनता पक्ष तो यह नहीं कहता कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बजरंग दल जो उनकी ही शाखायें हैं, वह कहते हैं हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है, मगर जब वह मस्जिद गिराई जा रही थी, तो चुप से बैठे थे और आज कल्याण सिंह जी भी उसका समर्थन करते हैं और वह कहते हैं कि हमने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया है और उसको शहीद कर दिया है और राम का ध्वज ऊंचा उठा रहे हैं। वह लोग राम का ध्वज ऊंचा नहीं उठा रहे हैं, वह रावण का ध्वज ऊंचा उठा रहे हैं—यह मानवता की हत्या कर रहे हैं। राम तो मंदिर में भी बस

श्रीबड़ठलराव माधवराव जाधव

है, मस्जिद में भीद बसा है, राम तो गुरुद्वारा में भी बसा है। ईश्वर सब का एक होता है। ईश्वर में कोई अंतर नहीं होता हैं।

तो मान्यवर, मैं जरूर इस सदन के माध्यम से मांग करूंगा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसके बाद मुस्लिम लीग, बगजरंग दल, वी०एच०पी०, शिव सेना जमायते इस्लामी तथा और भी जो कुछ संगठन बचे हैं इस देश में जो कम्यूनल लाईन पर काम कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से बैन किया जाए। अगर उनको बैन नहीं किया जाएगा, हमारी आजादी को वह पूरी तरह से बैन करेंगे नहीं तो राजेश पायलट जी रोज चक्कर मारते हैं कश्मीर से दिल्ली तक और दिल्ली से श्रीनगर तक, मगर यह बातें अभी हल नहीं हो रही हैं। जब तक उनके दिमाग में वह जो विष है, जब तक जातिवाद का विष है, कम्यूनल फीलिंग का विष जब तक नहीं जाएगा, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे देश ने काफी मुश्किलें उठाई हैं, हमने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भी खोया है और आगे चल कर ऐसा माहौल इस मुल्क के अंदर पैदा न हो, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

हमने सुना है कि इंटरनेशनल इस्लामिक आर्गेनाइजेशन के 52 राष्ट्र—आज ही सुबह वह मसला उठा था और वह हमारे भारत की अर्थ सारी जो बातें हैं, उन पर बैन लगाने की सोच रहे हैं, कोई उनको मदद नहीं करेगा, जो इंटरनेशनल फीलिंग होने जा रही है, जो यहां से संदेश जा रहा है, बाबरी मस्जिद से सारी दुनिया को संदेश जा रहा है कि भाइयों कम्युनल फीलिंग पर चले आओ, तो इस बात को खत्म करना है।

यह सिर्फ हिंदुस्तान का काम नहीं है, सारी दुनिया को इसके बारे में कान्सिंस लेना है। युनाइटेड नेशंस का जो भी कोई अंतर्राष्ट्रीय फोर है, उसके बारे में उनको तो गंभीरता से सोचना चाहिए और हिंदुस्तान के अंदर और सारे विश्व के अंदर अगर अच्छी तरह से रहना है और तीसरा आने वाला जो महाभयंकर युद्ध होगा, जो मारक युद्ध होगा, जो अटामिक बम, न्युक्लियर बम हाइड्रोजन बम या लैसर बम, जो भी कुछ अत्याधुनिक हथियार इस विश्व के अंदर पैदा हुए हैं, अगर उन सब को रोकना होगा, मानव जाति को बचाना होगा, तो भारत में और सारे विश्व में यह जो राजनीति से धार्मिक भावना है, या कम्युनल फीलिंग है, उसको पूरी तरह से हटाना होगा। हमारे देश में भी यह कानुन बनाना होगा और युनाइटेड नेशंस आर्गेनाइजेशन, जो विश्व का सब से बड़ा संगठन है, उसको भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा और सारे विश्व को इस सारी बीमारी से मुक्ति सेदेनी होगी, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे पास भी समय नहीं है। यह जो बम्बई ब्लास्ट हुआ परसों, मैं समझ सकता हूं कि किसी लोगों के दिल में कोई बहुत ही बुरी भावना पैदा हो जाती है, तो मैं समझ सकता हूं कि बम ब्लास्ट की चर्चा के दौरान यह बात उठाई थी, मगर डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिकेशन सेंटर में, जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का सेंटर है वहां आर.डी.एक्स. के जो एक्सप्लोसिब्ज हैं वह दो दिन तक स्टोर किये गये और मैंने यह भी सुना है कि हमारे गवर्नमेंट के आफिसर्ज हैं उन्होंने संदेश दिया कि यह यहां से उतर रहा है और यहां से जा रहा है। यह गवर्नमेंट आफ इंडिया के आफिसर्ज अगर एसा करते हैं तो उनको तुरन्त सर्विस से डिसमिस किया जाय और उनके खिलाफ केस चलाये जायें और इसके बारे में सही-सही इंक्वायरी की जाय यह मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इसके बारे में ठोस कदम उठायें जायें। एक बात और है जो गवर्नमेंट सर्विस में केन्द्र सरकार की नौकरी में जो लोग काम कम करते हैं, उनको

भी देखा जाय कि वे किसी संगठन से संबंधित हैं या नहीं हैं? जब आप देखते हैं टी.वी. पर जब न्यूज आते हैं तो विशेष विचारधारा के न्यूज उस पर दिये जाते हैं और कुछ लोग जो सही बातें बताते हैं जो निधर्मी हैं, जो सकुलर हैं, उनका तो नाम भी अदृश्य कर देते हैं। तो ये सारे लोग आर.एस.एस. के विचार के हों या कोई विचार के हों, ये कितने लोक गवर्नमेंट सर्विसेज में छुपे हुये हैं उसका भी एक सर्वे किया जाय और उसके खिलाफ भी ठोस कदम उठाये जायें।

ये मेरी चन्द सरकार से कुछ सिफारिशें हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार उसे बहुत ही गंभीरता से सोचेगी और पार्लियामेंट के अन्दर एक ऐसा बिल लायेगी कि राजनीति से धर्म नीति और जातिवाद पूरी तरह से उसका निर्मूलन करेगी।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ, मैं इस बिल का पूरे हृदय से समर्थन करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात का प्रारंभ इस सदन को उस प्रस्ताव की याद दिलाकर करना चाहती हूं, जो प्रस्ताव भारत की कांस्टीट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेचर में रखा गया था। वह प्रस्ताव 3 अप्रैल, 1948 को रखा गया था और उस प्रस्ताव को रखने वाले थे मद्रास के श्री अनन्त शयनाम अयंगार। उन्होंने भी प्रस्ताव राजनीति को संप्रदायवाद से अलगाने के लिये रखा था। उस प्रस्ताव को रखते हुये भारत की कांस्टीट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेचर में उन्होंने यह कहा था कि भारतीय जनतंत्र के सुचारु संचालन तथा राष्ट्रीय एकता और एकजुटता के विकास के लिये संप्रदायवाद का खात्मा जरूरी है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आज उस प्रस्ताव के 45 वर्ष बाद फिर एक निजी सदस्य द्वारा प्रस्ताव लाया गया है। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य होता है, हैरानी होती है। उपसभाध्यक्ष महोदय, जब वह प्रस्ताव पेश किया गया था उसके कुछ महीने पहले ही 30 जनवरी को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी हत्या के ठीक बाद ही सरकार ने आर-एस.एस. पर प्रतिबंध लगाया और उसके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। उस समय तमाम कारण ऐसे मौजूद थे जिनसे यह पता चलता था कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के पीछे वे ही कारण थे जिनके चलते हमारे राष्ट्रीय सामाजिक जीवन में जो जहर पैदा किया गया था, आर.एस.एस. की विचारधारा के चलते। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने अदालत में नाथू राम गोडसे द्वारा दिये गये उस बयान को पढ़ा है जिस बयान को महात्मा गांधी की हत्या के बाद में चले मुकदमे के दौरान उन्होंने कहा था। नाथू राम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने उस पूरे वक्तव्य को "गांधी का वध क्यों" शीर्षक पुस्तक में प्रकाशित किया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, वे राष्ट्रपिता गांधी जी की हत्या को हत्या नहीं, बल्कि किसी नेक काम के लिये किया गया वध कहते हैं। अपने इस वक्तव्य में नाथू राम कहते हैं, मैं उनको उद्धृत करना चाहूंगी :

"यदि देशभक्ति पाप है, तो मैं जानता हूं कि मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है, तो मैं अपने आपको उस प्रशंसा का अधिकारी मानता हूं। मैंने देश की भलाई के लिये यह काम किया है। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीतियों से हिन्दुओं पर घोर कष्ट आये, हिन्दू नष्ट हुये।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, नाथू राम गोडसे ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ अपने पुराने ताल्लुकात को भी उस समय स्वीकारा था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उस काल में भी हमारे देश में ऐसी सांप्रदायिक शक्तियां मौजूद थीं जो कि महात्मा

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

गांधी की हत्या तक को देशभक्ति की संज्ञा देती थी। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने कभी भी प्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी की हत्या की जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं ली, लेकिन जिस नाथूराम गौड्से ने महात्मा गांधी की हत्या की उस नाथुराम गोड्से का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबंध था और वह राष्ट्रीय स्वयं सेलक संघ की विचारधारा से प्रभावित था।

श्री कैलाश नारायण सारंग (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैडम जो यह तथ्य बोल रही हैं, यह पूर्णत: गलत है। नाथू राम गौडसे का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से कोई संबंध नहीं था।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : यह मंत्री महोदय बतायेंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप गोपाल गौडसे की पुस्तक देख लीजिये और सदन को सही तथ्यों की जानकारी दीजिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रजी) : आप बोलती रहें। आप अपनी तकरीर जारी रखें।

श्री सुरेश पचौरी : (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, . . (**व्यवधान**) . .

श्री कैलाश नारायण सारंग : राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में हम को अधिकृत बात कहने का अधिकार है। यह कहना गलत है, गोपाल गौडसे या नाथू राम गोडसे का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से दूर का भी संबंध नहीं था।

श्री सुरेश पचौरी : नाथू राम गोडसे के बारे में उसके भाई गोपाल गौडसे बतायेंगे या आप नाथू राम गौडसे के भाई बन रहे हैं, जो बतायेंगे ?

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहूंगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रजी) कृपया इंटरप्ट न करें।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : अगर तथ्यों की जानकारी गलत होगी तो मैं अन्त में वापिस ले लूंगी और अगर आप खंडन करना चाहते हैं तो बाद में कर दीजिये (**व्यवधान**) श्रीमन्, मैं चाहूंगी कि मुझे इस तरह से इंटरप्ट न किया जाये।

THE VICE-CHAIRMAN (SPED-SIBTY RAZI): I agree with you. Don't interrupt the speaker, please.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जिस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करवाना चाहती थी, वह यह थी कि आर०एस०एस० भारत की आजादी को भारत की पराजय कहता था। आर०एस०एस० का यह मानना था कि भारत की आजादी मुसलमानों के हाथों हिन्दुओं की मात है। महात्मा गांधी की हत्या के ठीक बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर पाबन्दी लगायी गयी और उसके बाद 3 अप्रैल, 1948 को भारत की संविधान सभा में वह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, उस समय भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। तीन अप्रैल को उस प्रस्ताव के जरिये भारत की संविधान सभा ने यह निर्देश दिया कि भारत के कानून में ऐसी व्यवस्था की जाय जिसके जरिये कोई भी सांप्रदायिक संगठन हमारे राष्ट्र के सामाजिक जीवन को कलुषित न कर सके। उपसभाध्यक्ष महोदय, तब से अब तक 45 वर्ष बीत चुके हैं, लगभग 4 युग पूरे हो चुके हैं। इन 45 वर्षों में लगभग 42 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, मेरा उन्हीं से प्रश्न है कि क्या उन्होंने ऐसी कानूनी व प्रशासनिक व्यवस्थायें की जिनके चलते 3 अप्रैल को जो प्रस्ताव हमने स्वीकार किया, उस प्रस्ताव के अनुरूप एक सामाजिक माहौल, एक राजनीतिक माहौल तैयार किया जाता। वैसा नहीं किया गया, अगर वैसा किया गया होता तो आज फिर यह नौबत नहीं आती

कि शासक दल कांग्रेस के ही एक सदस्य को निजी प्रस्ताव के रूप में यह प्रस्ताव लाना पड़ता । आज जो परिस्थिति पैदा हो गयी है, जो हालात पैदा हो गये हैं जिसके कि हम तमाम लोग साक्षी हैं, लेकिन आजादी के ठीक बाद के दिनों में और आज के दिनों में थोड़ा सा अन्तर आया है, परिस्थितियों में थोड़ासा फर्क आया है । वह फर्क यह है कि उस समय सांप्रदायिक शक्तियां थीं, लेकिन उस समय तक सांप्रदायिक शक्तियों को जनता के अन्दर इतना समर्थन प्राप्त नहीं था । हमारे राष्ट्रीय नेताओं की साख बनी हुई थी और यही हमारे राष्ट्रीय नेता सरकार में भी थे और उस समय जाहिर है कि सरकार में भी जनता का विश्वास था । सांप्रदायिकता के आधार पर उसी समय हमारा देश दो टुकड़ों में बंटा था और इसीलिये सांप्रदायिक शक्तियों के विरूद्ध हमारी जनता में तीव्र प्रतिक्रिया थी । लेकिन, आज, आज परिस्थितियां क्या हैं ? उपध्यक्ष महोदय, 45 वर्ष के कांग्रेस के शासन ने हमारी जनता का जितना बड़ा मोह भंग किया है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती । सार्वजनिक जीवन अपराध और हिंसा का पर्याय हो गया है । जनजीवन में अनिश्चितता, असुरक्षा घर कर गई है । हमारा देश आर्थिक संकट के भंवर जाल में फंसता चला जा रहा है । इन तमामा कारणों से हम यह देख पा रहे हैं कि हमारे शासक दल का इतिहास भारतीय जनतंत्र को संकुचित करने का इतिहास रहा है । इन 45 वर्षों में कांग्रेस ने भारत के जनतंत्र को विकसित करने, उसे संवर्द्धित करने के बजाय उसे संकुचित करने का ही काम किया हैं । इन परिस्थितियों में जनतंत्र के प्रति लोगों की आस्था डगमगाई है । हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में उन तमाम जनतांत्रिक और धर्म-निरपेक्ष मूल्यों का क्षरण हुआ है, जिन जनतांत्रिक और धर्म-निरपेक्ष मूल्यों को हमने आजादी के दौरान अर्जित किया. राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अर्जित किया । इस प्रकार कांग्रेस दल ने ही एक ऐसा माहौल तैयार किया है, एक ऐसी परिस्थिति तैयार की है, जिस परिस्थिति में वह तमाम बीज मौजूद हैं, जिन बिजों से फांसीवाद की फसल तैयार हो सके ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आजादी के ठीक बाद के काल में जिस आर०एस०एस० से निपटना बहुत आसान था, आज वही हमारे लिए ज्यादा मुश्किल हो गया है । आर०एस०एस० क्या है ? उपाध्यक्ष महोदय, आज इसके बारे में हमारे पास काफी सामग्री उपलब्ध है । सन् 1947 के दिनों में ही कांग्रेस के नेता गोविन्द सहाय ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को एक फांसीवादी संगठन के रूप में पहचाना था । उसके बाद से लेकर अब तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में अनगिनत शोधकार्य हुए है अनगिनत जानकारियां हमारे पास मौजुद हैं । एक बात साफ है कि आर०एस०एस० एक ऐसी शक्ति है, जो राष्ट्रवाद, जनतंत्र राज्य के संघीय ढांचे, सामाजिक न्याय समाज सुधार तथा आर्थिक विकास के उन सभी विचारों के सर्वथा विपरीत है, जिन्हें आजादी के लिए संघर्ष की प्रक्रिया में आधुनिक भारतीय राष्ट्र ने अतुलनीय त्याग और बलिदान करके हासिल किए थे । उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वह शक्ति है, जो आधुनिक भारतीय राष्ट्र के निर्माण से ही इंकार करती रही है और इसलिए इससे जुड़े हुए तमाम मूल्यों और संस्थाओं के प्रति उसकी न कभी आस्था रही, न विश्वास रहा । इसी विचारधारा से प्रेरित होकर महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे ने जिस उद्दण्डता के साथ के अपने बयान में महात्मा गांधी की हत्या को देशभक्ति का नाम दिया था, उसी विचारधारा से उत्तेजित लोगों ने 6 दिसम्बर, 1992 को साढ़े चार सौ वर्षो से पुरानी बाबरी मस्जिद को ढहा कर आर०एस०एस० और उसके संघ परिवार के लोग अपने इस कुकृत्य को महान राष्ट्रीय जागरण की संज्ञा दे रहे हैं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हाल ही में यह व्हाइट पेपर जारी किया गया है । इस व्हाइट पेपर

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]
की भूमिका लिखते हुए श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने लिखा है--

It is the interim movement for national resurgence.

राष्ट्रीय पुनरुत्थान की संज्ञा इस आंदोलन को उन्होंने दी है। हाल ही में केन्द्रीय सरकार के श्वेत पत्र के जवाब में भाजपा जिस श्वेत पत्र का मैंने उल्लेख किया, यह वास्तव में श्वेत पत्र नहीं बल्कि, मैं कहूंगी, एक पीत पत्र है, इस पीत पत्र में जिस तरह हमारी तमाम सांस्कृतिक परंपराओं, हमारी राष्ट्रीय परंपराओं की अवहेलना करते हुए एक फांसीवादी संस्कृति का जयगान किया गया है, इस पर हम सिर्फ शर्म कर सकते हैं, उसके प्रति हमारे अन्दर सिर्फ घृणा ही है। मैं जिस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी, वह यह है.. उपसभाध्यक्ष महोदय मैं जिस पर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी वह यह है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कामों का तौर-तरीका क्या है ? कामों का पूरा तौर-तरीका हिटलर और मुसोलनी के नाजी और फासिस्टवादी पार्टियों से मिलता जुलता है। भारत में मुस्लिम लोग का भी यह इतिहास रहा है। उसने भी हिटलर के रास्ते पर चलकर भारत को दो भागों में बांटा। मुस्लिम लीग ने जिस पाकिस्तान को बनाया आज उस पाकिस्तान की दशा हम देख रहे है। 45 वर्षों के पाकिस्तान का इतिहास 30 वर्षों तक सैनिक तानाशाही का इतिहास है। आर० एस०एस० के प्रमुख सिद्धांतकार श्री गुरूजी गोलवल्कर जिन्होंने 1939 में एक पुस्तक लिखी–

We or Our Nationhood Defined

पुस्तक में उन्होंने खुलेआम यह कहा था कि हमें हिटलर के जर्मनी से शिक्षा लेनी चाहिए जिस प्रकार जर्मनी में लाखों यहूदियों का कत्लेआम करके जर्मन राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ है हमें उससे सबक लेना चाहिए। अपनी उस किताब में ही, यहां तक कि उन्होंने इस बात के प्रति अपनी आस्था को जाहिर किया कि जिस तरह अंग्रेजों द्वारा अपने औपनिवेशिक शासन में अन्य जातियों का उत्पीड़न हो रहा है, उस उत्पीड़न के जरिए भी अंग्रेजी राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। उपसभाध्यक्ष महोदय, लगभग 1948 तक गोलवल्कर की इस पुस्तक

We or Our Nationhood Defined

को आर०एस०एस० की गीता कहा जाता रहा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में ही 1951 में एक अमरिकी शोधार्थी जे० करार ने एक पुस्तक लिखी, जिसका शीषक है–

—Militant Hinduism in Indian Politics—A Study of the RSS—

इस शोध ग्रन्थ में भी उन्होंने इस तथ्य को नोट किया कि

We or Our Nationhood Defined

राष्ट्रीय स्वयं संघ के लिए बाइबल है। इसके बाद गोलवल्कर के ही विचारों का एक और संग्रह –"बंच आफ थाट्स" प्रकाशित हुआ। जिस तरह हिटलर की किताब – मीनकैम्फ में हिटलर ने अपने जीवन के उन तमाम उद्देश्यों की चर्चा की है, बिल्कुल उसी तर्ज पर गोलवल्कर ने अपनी इस पुस्तक–"बंच आफ थाट्स' की रचना की है। हिटलर ने जिस प्रकार 'शुरू से यहूदियों के प्रति अपनी नफरत को जाहिर करते हुए सत्ता में आने के 15 वर्ष पहले ही "मीनकैम्फ" में यह लिख दिया था कि यदि प्रथम विश्व युद्ध के पहले ही 10-29 लाख यहूदियों की हत्या कर दी जाती या उन्हें जहरीली गैस से मार डाला गया होता तो जर्मनी कभी परास्त नहीं होता। बिल्कुल उसी तर्ज पर गोलवल्कर ने मुसलमानों को अपनी घृणा का पात्र बनाया है। उन्होंने हमारे देश के तीन आन्तरिक शत्रुओं को गिनाया। उनके अनुसार देश के तीन शत्रु हैं और इन तीन शत्रुओं में सबसे पहला मुसलमान है। (**समय की घंटी**)

उपसभाध्यक्ष जी, थोड़ा समय और चाहूंगी। वह कहा करते थे कि भारत में मुसलमान बस्ती एक पाकिस्तान है। उन्होंने लिखा है कि

Pakistan is not a settled fact and we are here to unsettle it

यानी पाकिस्तान कोई तयशुदा मामला नहीं है, हम उसे उजाड़ देंगे। उपसभाध्यक्ष महोदय पाकिस्तान को तो वह कितना

उजाड़ेंगी, नहीं उजाड़ेंगे मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर तय है कि भारत के मुस्लिम मौहल्लों में इन्होंने दंगा करके दंगाईयों का जो कला-कौशल है उसमें उन्होंने जरूरत महारथ हासिल कर ली है। दंगे किस तरह भड़काए जाते हैं इसमें इन्होंने हिटलर से महारथ हासिल की है। तमाम प्रकार के छल, कपट, कौशल को सीखा है। किस तरह दोमुंही बातें की जाती हैं, वह भी इन्होंने सीखा है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। 15 फरवरी, 93 के "इंडिया टुडे" में एक बहुत दिलचस्प चीज छपी है। इसका शीर्षक है—"संघ की उलट बातियां, बोली कुछ मतलब कुछ" मसलन, मैं उद्धरण दे रही हूं, इसमें इन्होंने बताया है कि जब संघ परिवार के लोग कहते हैं कि हम मंदिर बनायेंगे तो इसका असली मकसद होता है कि हम मस्जिद को ढहाएंगे। जब मस्जिद को ढहाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण कहते हैं तो उनका असली मतलब होता है—यह हिन्दुओं के गर्व की बात है। जब वे धारा-370 को समाप्त करने की बात करते हैं तो उनका मतलब होता है—कश्मीर में हिन्दुओं को बसाओ और मुसलमानों को भगाओ। वे मुसलमानों को कहते हैं कि उन्हें खुद को मोहम्मदी हिन्दू कहना होगा यानी हिन्दुस्तान में रहना है तो हिन्दू बनकर रहना होगा।

जब ये यह कहते हैं कि मुसलमान भाजपा शासित राज्यों में सुरक्षित हैं तो उनके कहने का मतलब यह होता है कि भाजपा को वोट दो नहीं तो दंगे झेलो। उपाध्यक्ष, महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि इस संघ परिवार नाम की वस्तु को गहराई से समझा जाना चाहिए। शुरू में ही मैंने कहा कि यह शक्ति भारत की राष्ट्रीय परंपरा के सर्वथा विपरीत है। यदि हम गहराई से गोलवलकर की बातों की छानबीन करें तो यह बात और भी स्पष्ट रूप से सामने आती है।

मुझे एक जर्मन इतिहासकार बर्नर मेसर की कही हुई बात याद आती है। मैं मेसर को उद्धृत करना चाहुंगी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी—"हिटलर्स मैन कैम्फ—एन ऐनालिसिस"। दो अध्यायों में बंटी इस पुस्तक के दूसरे अध्याय में मैसर ने लिखा था—

"हिटलर 1933 में सत्ता में आया। उसके काफी पहले ही उसने अपनी पुस्तक "मैन केम्फ" में वे सारी बातें लिख दीं थीं जिन पर सत्ता में आने के बाद हिटलर ने अमल किया था"

मैसर ने इस बात पर दुख जाहिर किया कि लोगों ने हिटलर की उस अपठनीय पुस्तक को गंभीरता से नहीं पढ़ा। अगर ऐसा किया गया होता तो दुनिया अनेक बरबादियों से बच सकती थी।

इसीलिए जब मैं आर-एस.एस. की विचारधारा का मूलभूत प्रश्न उठाती हूं तो इसका आशय यही होता है कि आर.एस.एस. चाहे कहने को कुछ भी कहती रहे लेकिन उसका मूल उद्देश्य, उसकी मूल प्रेरणा वही हिटलर और मुसोलिनी है और उस विचारधारा पर आधारित समाज फासीवादी समाज हो सकता है और कुछ नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभिक काल में जब हिटलर जीत रहा था उस समय गोलवलकर कहा करते थे—"मेरी बात गांठ बांधकर रख लो, इस दुनिया में न पूंजीवाद चलेगा न समाजवाद। संघवाद का डंका बजेगा"। यह बात गोलवलकर के जीवनीकार प्र. ग. सहस्त्रबुद्धे ने लिखी है। संघवाद और कुछ नहीं, मुसोलिनी के फासीवाद और हिटलर के नाजीवाद का ही भारतीय संस्करण है। दुनिया में फासीवाद के इतिहास को देखें तो हमें पता चलता है कि जिन आर्थिक-सामाजिक परिस्थितियों में फासीवाद उत्पन्न हुआ था, भारत में आज कमोवेश उसी तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं।

नाजीवाद के उत्थान और पतन के सबसे प्रामाणिक इतिहासकार विलियम एल. शिरर ने अपनी पुस्तक "दि राईज एंड फॉल थर्ड राइख" में हिटलर के सत्ता में आने से पहले की आर्थिक मंदी तथा जर्मनी की स्थिति का चित्र खींचते हुए लिखा था—

"जरूरत मंद लोग अपनी दुखःजनक हालत से बाहर निकलने के रास्ते की मांग

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

कर रहे थे। लाखों बेरोजगार काम चाहते थे। दुकानदारों को मदद की जरूरत थी। पहले चुनाव के वक्त मतदान की आयु वाले 40 लाख नोजवान भविष्य की कुछ आशा चाहते थे जो उन्हें कम से कम जीविका प्रदान कर सके . . ."

हिटलर ने अपने तूफानी अभियान में उन करोड़ों असंतुष्ट लोगों को आशाएं बंधाई:—

"वह जर्मनी को फिर से शक्तिशाली बनाएगा, मुनाफे को बाहर नहीं जाने देगा और जर्मन राष्ट्र का अपमान करने वाली वारसाई संधि को ठुकरा देगा। भ्रष्टाचार को दूर करेगा। महाजनों को, खास तौर पर यदि वे यहूदी है तो उन्हें भगा देगा और प्रत्येक जर्मन के लिए रोजगार और रोटी की गारंटी करेगा"

जर्मनी की उस काल की परिस्थिति, आर्थिक मंदी, जनता में चरम निराशा और जनता में फैले व्यापक असंतोष को हम वर्तमान भारत के संदर्भ में देखें तो उनमें एक अद्भुत साम्य दिखाई देगा। इस सरकार की तथाकथित नयी आर्थिक नीतियों ने मेहनतकश जनता के जीवन में अनिश्चय के अंधार को काफी गहरा दिया है। साम्राज्यवादियों के सामने घुटने टककर इस सरकार ने राष्ट्रीय गौरव के बोध को भी आहत किया है।

इसके अलावा हमारे समाज में सांप्रदायिक और जातिवादी नफरत के बीज तो फल-फूल ही रहे हैं। आर.एस.एस. और उसके फासीवादी अभियान के लिए इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि यह सांप्रदायिक फासीवाद हमारे जनतंत्र, धर्म-निरपेक्षता और तमाम जनतांत्रिक संस्थाओं के लिए फांसी का फंदा साबित हो, यह जरूरी है कि हम इसके खिलाफ समय रहते चेत जाएं और तेजी के साथ कार्यवाही करें।

दुनिया में फासीवाद और उसके विरुद्ध संघर्ष का अनुभव हमारे सामने है। हमें उससे शिक्षा लेने की जरुरत है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, फासीवाद के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे का आह्वान करने वाले बुल्गारिया के कम्यूनिष्ट नेता जार्ज दिमित्रोव की सीखों का मैं इस संसद के मंच पर उल्लेख करना चाहूंगी। दिमित्रोव ने लिखा था कि फासीवाद के चलन को रोका जा सकता है यदि जर्मनी के मजदूरी वर्ग ने फासिष्टों के हमलों के सम्मुख वहां के सोशल डमोक्रटों के शाब्दिक प्रस्तावों से संतुष्ट न हो करके उनका उत्तर सच्चे जन संघर्ष से दिया होता। यदि उसने प्रशियन सरकार का नेतृत्व कर रहे सोशल डेमोक्रट नेताओं को फासीवाद के विरुद्ध रक्षा के कदम उठाने, फासिष्ट नेताओं को गिरफ्तार करने, उनके प्रेस को बंद करने, उनके भौतिक साधनों तथा फासिस्टों को पैसा देने वाले पूंजीपतियों के साधनों को जब्त करने तथा फासिस्टों से हथियार छीनने को मजबूर कर दिया होता। यदि उसने संकट में फंसे हुए किसानों को तत्काल राहत दिलवाकर अपने लिए मेहनत कश किसान जनता का समर्थन हासिल कर लिया होता।

दिमित्रोव ने तमाम पूंजीवादी देशों में एक-एक इंच जनवादी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जनवादी शक्तियों के संयुक्त मोर्चे का आह्वान किया था।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध का प्रश्न भारत में सांप्रदायिक फासीवाद का प्रतिरोध संघर्ष से जुड़ गया है। इस संघर्ष में पूरी दृढ़ता और निश्चय की जरुरत है। जनता के जीवन को बहतर बनाकर उनके जनतांत्रिक अधिकारों को और ज्यादा विस्तृत करके इस संघर्ष में जनता के अधिकतम हिस्से को उतारने की जरूरत है। अगर हम इस लड़ाई में कोई कमजोरी दिखाते हैं तो भारत की आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात का अंत 3 अप्रैल 1948 के प्रस्ताव के प्रसंग से ही करूंगी। वह एक निजी सांसद का प्रस्ताव होने के बावजूद पारित किया गया था। उस पर बहस में अन्य तमाम लोगों के साथ प्रधान

मंत्री श्री ज्वाहरलाल नेहरु ने भी हिस्सा लिया था। उन्होंने यहां तक कहा था—

"It is an inevitable policy which an independent country should adopt. The only alternative is civil conflict."

नेहरु जी ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा था कि सरकार इस प्रस्ताव के पीछे काम कर रहे उद्देश्य को हासिल करने के लिए अपनी शक्ति पर कोई कसर नहीं छोड़ेगी उन्होंने कहा था कि वे सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं।

मेरा अनुरोध है इस सदन से कि श्री *अहलुवालिया जी का यह महत्वपूर्ण विधेयक* भी पारित किया जाना चाहिए और सरकार के लिए इसे एक कानूनी बाध्यता का रूप दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए और इस लड़ाई को आप अपनी लड़ाई समझते हुए मैं सभी जनवादी धर्म-निरपेक्ष शक्तियों का धन्यवाद करते हुए उनसे अनुरोध करूंगी कि इस पर अपनी आस्था दिखाएं और इस प्रस्ताव को स्वीकृति दें। धन्यवाद।

श्री कैलाश नारायण सारंग : खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सरला जी मैंने आपको इसलिए पेपर लेकर दिया था कि ताकि हमारी सारी बात का समझ लें... **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : आपको कुछ नहीं दिखाई दिया ..... **(व्यवधान)**

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन (मध्य प्रदेश): या तो बाहर चले जाइए या यहां आ जाइए .... **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य को ऐसा नहीं कह सकता कि बाहर चले जाओ.... **(व्यवधान)**

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : हम तो इधर आने की प्रार्थना कर रहे थे.. **(व्यवधान)**

SHRI O. RAJAGOPAL (Madhya Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I am rising to oppose this Bill moved by a Congress Member and supported by a Communist Member. The combination of these forces is not a new thing. The thinking behind bringing this Bill is something which we should take particular notice of. For the first time after independence, a situation has come where there is a possible alternative which can come to power at the Centre and in many States, and in order to thwart that development, various steps are being taken. A political really organised by the second biggest politcal party in the country — the main political party in the Opposition — was sought to be crushed by spending crores of rupees and using thousands of policemen. Governments elected by about 20 crores of people in a democratic manner have been dismissed in a very lighthearted manner. Very respected political leaders had been arrested and put behind the bars without any investigation and even without filing a charge even after 30 days. Those are the things that are taking place in this country. As a part of that, a new move to prevent the BJP to contest elections and to function in the political field is being resorted to and a legislation is sought to be brought about. It is in this context that this attempt to bring about this legislation has to be viewed.

This involves certain basic issues in the country. Speaking on the basic issue, the word 'communalism' has come to acquire a very bad odour. Actually, the word 'communalism' does not have a bad meaning, originally. It is individualism versus communalism — a man who stands not for himself but for the community. It is a noble idea. But for some reason, for some years now, this word has been used in a different contest and it has acquired a bad odour for the present. Now the political parties are being organised on the basis of certain ideas. It can be

[Shri O. Rajagopal]

on certain economic policies or it can be for some other ideologies also. There were certain ideologies which were very popular but those ideologies have faded away. The people are not mentioning about those very ideologies which held the stage for more than half a century. Nobody now speaks proudly of communism. Nobody now speaks proudly of socialism. These are not even mentioned. Maybe, now the people come together on the basis of various ideas. It can be a caste feeling. It can be a religious homogeneity It can be some language affinity. We know in other countries, there have been political parties orgainsed on the basis of religion and they are functioning in a very democratic manner. Nobody takes objection to those things. In West Germany, for example, Christian Democratic Party is well-known. In European countries, political parties based on religious homogeneity are prevalent. Now, a thinking has been propagated. The idea was let loose by the Communists. It so happened that the Communists spread certain ideas lately and the Congressmen took over those ideas and carried forward those ideas. It was the Communists who originally brought forward the idea that religion and politics should be kept separate. Religion is such a bad thing. They said: 'Don't bring about religion'. They said that religion and politics should be kept separate. This way, the idea was spread by them.

The present Bill is a natural consequence of that thinking. If this Bill is passed. what will happen? God forbid, the Bill is passed. If, for some unfortunate reason, this Bill is passed and if it is to be implemented. what will happen? In fact, I believe, if Mahatma Gandhi was alive today, he would not have been allowed to carry on his political activity. I say this because, as we know, Gandhiji had used religious symbols, religious sentiments, to take his political ideas to the common people. He had in all his meetings, Ram dhun. He introduced the concept of satgagraha. The Hindu concept of ahmsa was very dear to him. These religious concepts or spiritual sentiments were prevalent in the country for the last thousands of years now.

SHRI S. S. AHLUWALIA. Ahimsa is not the paternal property of any particular religion. It came from Buddhism also.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Janism also.

SHRI S. S AHLUWALIA: *Chandal* Ashoka became *Dharma* Ashoka only because of Buddhism. The concept of *ahimsa paramo dharma* came from there.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Mr. Ahluwalia, please sit down. When you reply to the debate, you can have your say. (*Interruptions*)

SHRI S. S. AHLUWALIA: Dr. Jain, Mr. Rajagopal does not need a pleader like you. Why are you interrupting?

SHRI O. RAJAGOPAL: When I mentioned Hinduism, I ony meant the traditional belief in this country for over a millenia, for thousands of years. Buddhism or Jainism, all these are offshoots of this thinking. They are not something different. I do not exclude them. It is in the blood of the people. It is the basic thinking of the people of this country. Therefore, it is not something strange.

Mr. Vice-Chairman what I mean to say is, Gandhiji used effectively the reigious symbols and thinking for educating the people of the country on political issues, economic issues and other issues affecting the people. He conceived the idea of *Ram Rajya*. He introduced the concept of *daridranarayan*. These are concepet which are....

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Uttar Pradesh): *Brahmacharya.*

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Mr. Mathur is one.

SHRI O. RAJAGOPAL: It is very dear to him.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Wrong interpretation.

SHRI O. RAJAGOPAL: There is one interpretation which may not be suitable to you in the present context.

Sir, if this sort of thinking had been allowed, it would have prevented the political activity of the great Lokmanya Tilak also. Lokmanya Tilak effectively made use of religious sentiments for the purpose of propagating political ideas, to take the ideas to the common people. This year, we are celebrating the centenary of his attempt to make the Ganesh *utsav*, which was being observed for the last two hundred years as a purely religious activity, a national activity, a social activity. He took it to the masses. This year, we are celebrating the centenary of that event. People like Mahatma Gandhi or people like Lokmanya Tilak were successful in educating the masses of this country about political ideas and economic ideas. They were effectively making use of the symbols. Now you say that politics and religion should be completely separate. I do not think that it is a concept which will be effective in this country because in this country because in this country every activity has an impact of or correlation with religious symbols. Whether it is art or it is literature or it is dance, or it is architecture, any human activity in this country has the impact of, has its correlationship with, religious ideals. This is the nature of this country. Therefore, politics need not be totally divorced from dharmic concepts. That is what I would submit.

Now certain things were mentioned here about the RSS and the relationship of Godse and all that. These are all allegations made umpteen times and contradicted authoritatively by people who are in the know of things for people and various judicial commissions. Still those accusations are being repeated again and again not only inside this august House but also from platforms outside this august House. I do not want to answer all those statements. For the purpose of record, I only want to say, number one, Godse is described as an RSS man. It is incorrect. He was a when who went out of the RSS, saying that the RSS thinking was not effectively, that it was not modern, that it could not be an effective weapon to deal with the prevailing situation. Therefore, he severed whatever connections he had with the RSS and left the RSS. Still, whatever Nathuram Godse did in the later part of his life, towards the end of his life, is accounted for in the name of the RSS. It is not correct way of describing things.

We are functioning under our Constitution. The Constitution assures that every individual in this country shall have freedom of worship, that he shall have equality before law and that there shall not be a theorcratic State in this country. Therefore, what we should aim it is that we should have a polity in this country, political functioning and political organisations in this country which do not go against the principles enshrined in the Constitution. Now, if there is a political party which stands for a particular religion, particular caste, I don't think the technically it can be a wrong thing just like, as I mentioned earlier, the Christian Democratic Party in a democratic country like Germany. There is nothing wrong in having a Muslim Party or a Christian Party or some other party. What is wrong in that? It will be wrong if you insist. If you plead that there should be a theocratic state, that only people belonging to one religion

[Shri O. Rajagopal]

should have first-class citizenship and that people belonging to other religious should have a second-class citizenship. If somebody says this, this should not be allowed. There should not a theocratic State, but there can be a state in which there can be political parties formed on the basis of either political ideologies or even religious ideologies. There is nothing wrong in it. But it is rather strange that this Bill has been brought forward by my friend belonging to a political party which is openly in alliance with the Muslim League, a political party which wanted the division of the country, a political party which still believes in the two-nation theory, a political party whose leaders are not prepared even to light a lamp. I would just narrate an incident that happened in Kerala recently. The Muslim League Minister refused to light a lamp for the purpose of inauguration of a ceremony saying he would not light a lamp because it was against his religion. He is a Minister and belongs to the Muslim League. And the Congress is in alliance with that Muslim League! On the one side they are in alliance with such a party and here they say: Let us ban all political parties having relations with religion! In Kerala, the Congress is in alliance not only with the Muslim league, but it is in alliance also with the Christian Kerala Congress. It is also in alliance with a political party of Nayars, the NDP, and with caste party, SRP. And then it comes here and say that there shall not be any communal party! It looks rather strange. When we are thinking of bringing about a legislation we should be thinking in terms of the future also. Now, a stage has come when certain political ideologies like communism and socialism have become irrelevant. They have collapsed. Nobody even speaks about them now. Probably in future we may have various political parties based on ancient traditional concepts, ancient traditional forms of association. There shall not be a ban on such thinking even though we may not agree with their ideas. But they must have the freedom of forming parties. Now, if the Muslim friends want to come together and organise a political party, I do not think there is anything wrong in that. If somebody says, "we are Muslims, we are not part of this nation, we want a separate nation," that should be objected to. But if some Muslim or Christian friends or Brahmins or any other caste come forward and organise a political party, it is not necessarily a very bad thing. They should not be prevented by a legislation. Therefore this legislation is ill-conceived. The motivation is coming out of a fascist mentality. As I said earlier this is one step further o say that the Bharatya Janata Party, which is likely to come to power in the near future, should be somehow prevented. So, instead of giving this name, communal party, why not openly say: ban the BJP? That will be more honest.

श्रीमती सत्या बहिन :(उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझ अहलूवालिया जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर बोलने के लिए जो समय दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यावाद देती हूं। माननीय श्री अहलवालिया जी जो यह अत्यन्त आवश्यक विधेयक लाए हैं, इसके लिए उनको मैं बधाई देना चाहती हूं। आज समय की यही आवश्यकता है। यह विधेयक न केवल श्री अहलसवालिया जी का है, बल्कि इस विधेयक से तमाम उन राष्ट्रभक्तों और धर्मनिरपेक्ष ताकतों के समर्थन का आभास होता हैं। भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। इसकी एक सांझी संस्कृति है, सांझी तहजीब है और सांझी जीवन पद्धति है। हम चाहे गांवों में रहते हों, चाहे शहरों में रहते हों, चाहे कस्बों में रहते हों, इस देश के लोग धार्मिक रूप में चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं .... लेकिन व्यवहारिक रूप से सब एक दूसरे के दुख-सुख में सांझीदार रहे और बराबर एक दूसरे के साथ प्रेम

और भाई चारे के साथ रहे। लेकिन कुछ समय से कुछ राजनैतिक लोगों ने संगठित रूप से लोगों की इन संवेदनशील भावनाओं को भड़काकर अपने स्वार्थ को साधना चाहा है। कुछ धर्मान्ध लोगों ने राजनैतिक छतरी का सहारा लिया। महोदय, ऐसी फासिस्ट ताकतें अपनी कुर्सी के लिए, अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिये इस देश को कुरबान करना चाहती हैं। लेकिन मैं बता देना चाहती हूं कि देश की ये फासिस्ट ताकतें अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगी क्योंकि भारत के ज्यादातर नागरिक इस देश की एकता को अपनी कुरबानी देकर भी बचायेंगे। इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे और सांझी तहजीब को बचाते रहेंगे और ये जो साम्प्रदायिक ताकतें हैं वे इसमें कामयाब नहीं होंगी, ऐसी मेरी पूरी मान्यता है।

महोदय, आज फासिस्ट ताकतों द्वारा राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा किया गया है। किन्तु इस देश की जब आजादी की लड़ाई लड़ी गयी, तो आजादी की लड़ाई में देश में बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी लोगों ने बराबर का हिस्सा लिया। अगर देश की माटी को उठाकर देखा जाए तो इस देश की धरती में, माटी में हिन्दू और मुसलमान सबको कुर्बानी का खून बराबर है। इसको कभी अलग नहीं किया जा सकता है और न किये जाने से इनका स्वार्थ पूरा होगा।

मैं यह भी बताना चाहती हूं कि इस देश के धर्म को कलंकित करने का इन्होंने जो एक आन्दोलन शुरू किया है, आज आवश्यकता है कि सरकार को सख्ती से उस कुत्सित आन्दोलन पर पाबन्दी लगानी चाहिये और ऐसे लोगों को जो राष्ट्र की एकता में खतरा पैदा करते हैं, राष्ट्रद्रोही करार दे देना चाहिये। ऐसे धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले राजनैतिक दलों की मान्यता समाप्त होनी ही चाहिए। मैं तो यह भी कहूंगी कि इनका जो चुनाव चिन्ह है, उसको इन्होंने गांवों में जाकर धार्मिक महत्व का बताकर लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया है। राष्ट्रवादिता के नाम पर इन ताकतों के कहने और करने में बहुत अन्तर है। जो कहते हैं, वे करते नहीं और जो करते हैं, वे बताते नहीं।

6 दिसम्बर को इन्होंने अयोध्या में एक मजमा लगाया। उस दिन भारतीय संविधान को वहां एक तरह से दफन किया गया। बाबरी मस्जिद को नहीं तोड़ा, बल्कि देश की एकता और अखण्डता को तोड़ा। देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई। फिर कितना बड़ा एक नाटक किया। मुख्य मंत्री ने अपराध बोध से इस्तीफा दे दिया। लोक सभा में विपक्षी दल के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि हमको बड़ा भारी दुःख है। मान्यवर, घड़ियाली आंसू बहाये कि हमें तकलीफ है। अभी तो कोई खास समय भी नहीं बीता है। अभी वहां के विध्वंस की धूल भी नहीं जम पाई थी, कहने लगे कि जिन कार सेवकों ने जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है, वे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं। उनकी तुलना स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों से कर रहे हैं। कितना बड़ा छल, फरेब भारत की राजनीति के साथ कर रहे हैं, भारतीय लोगों के साथ कर रहे हैं। राष्ट्र की एकता और अखण्डता के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसे लोगों को राजनैतिक धारा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यहीं नहीं, इनके जो समर्थक हैं, जो साधु-सन्त हैं, इन्होंने खुलेआम कहा कि भारतीय संविधान एक विदेशी दस्तावेज है। हमारी संविधान में आस्था नहीं है। ऐसे लोगों से बहुत बड़ा खतरा है। यह क्या संकेत नहीं देता है कि यह भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। निश्चय ही ये लोग इस देश की एकता के लिए सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा हैं। ऐसे लोगों पर अगर पाबन्दी नहीं लगाई गई तो इस देश की एकता और अखण्डता के लिए आज जो खतरा है, उसमें

[श्रीमती सत्या बहिन

में यह कहना चाहती हूं कि आप लोगों का जीवन मुश्किल हो जाएगा।

मान्यवर, संविधान हमारा पवित्र दस्तावेज है। इन्होंने 6 दिसम्बर को चुना। 6 दिसम्बर को किसलिए चुना? यह सोचने की बात है। छह दिसम्बर को बाबा साहब डा. अम्बेडकर की पुण्य-तिथि थी। उन्होंने उस पुण्य-तिथि को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर देश के संविधान की धज्जियां उड़ा कर यह सिद्ध कर दिया कि हम संविधान में आस्था नहीं रखते।

मान्यवर, यह अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी के लिए देश को कुर्बान कर देना चाहते हैं और धार्मिक उन्माद इस तरह से जिन्होंने बढ़ाया, वह हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले जो सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, वह आज पीड़ा से छटपटा रहे हैं, जो बचे हुए हैं उन लोगों के परिवार भी भारी आहत हैं। अपनी करनी और कथनी से, मान्यवर, यह अराजक तत्वों को प्रेरित कर रहे हैं। इनके सामने एक बड़ा सा वोट बैंक दिखाई देता है हिंदुओं का, लेकिन यह भूल जाते हैं कि देश का हर हिंदू इनकी मानसिकता से प्रभावित नहीं है। लेकिन कुछ गुमराह लोगों को रकर अराजकता की तरफ धकेल कर और लोगों की संवेदनशील भावनाओं को भड़का कर यह अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं।

कांग्रेस पर मुसलमानों के लिए यह तुष्टीकरन कोबात करके आरोप लगाते हैं कि वह तुष्टीकरण करते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि कौनसा तुष्टीकरण किया है। मैं उनको पूछना चाहती हूं कि क्या स्वतंत्रता आंदोलन से सब ने बराबर का हिस्सा नहीं लिया। देश में कितनी लड़ाइयां हुई हैं, चाहे वह पाकिस्तान के साथ, बंगलादेश के साथ या चीन के साथ हुई हो। क्या देश के मुसलमानों ने भारत का साथ नहीं दिया? क्या वह देश के नागरिक नहीं हैं? मैं कहती हूं कि भा०जा० पाइयों से आपसे ज्यादा उनमें राष्ट्रभक्ति है, वह देशभक्त हैं और देश के सच्चे नागरिक हैं। किन्तु फासिस्ट लोग देश को तोड़ना चाहते हैं और जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उनको राष्ट्रभक्त कतई नहीं कहा जा सकता।

मान्यवर, लोग कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर हमारा सीमावर्ती राज्य है, संवेदनशील राज्य है। सीमावर्ती होने के कारण संवेदनशील राज्य तो है ही और उस राज्य की ज्यादातर आबादी मुसलिम आबादी है, यह सच्चाई है। यह भी सच है कि पाकिस्तान के साथ भारत के कितने युद्ध हुए, कितनी लड़ाइयां लड़ीं, लेकिन हमेशा हर लड़ाई में वहां के लोगों ने अपने देश भारत का साथ दिया। अगर उन्होंने भारत का साथ नहीं दिया होता, तो मैं यकीन के साथ कहती हूं कि यह भारत, पाकिस्तान के खिलाफ आसानी से जंग जीत नहीं सकता था। हमेशा कश्मीरियों ने उन्होंने अपनी निष्ठा दिखाई, लेकिन उनकी निष्ठा पर शंका करने का इनको कोई अधिकार नहीं है।

मान्यवर, हिंदू और मुसलमान हर जगह रहते हैं। ईद हो, चाहे होली हो, हर त्यौहार वह मिलजुल कर मनाते हैं और त्यौहार में कहीं किसी प्रकार की कोई कटुता नहीं दिखाई देती है। होली हो, तो मुसलमानों के घर में भी उतनी खुशियां—बच्चे और महिलायें एक-दूसरे के साथ मिलते हैं। ईद का त्यौहार होता है, तो हिंदू भी उनके साथ मिलते हैं, एक-दूसरे के सुख-दुख में शामिल होते हैं, एक-दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। इन्होंने ऐसे प्रेम और सद्भाव में जो कटुता पैदा की, यह अक्षम्य है।

मान्यवर, इनको इतिहास क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन हमारे देश में भाईचारे की अभी भी मिसालें कायम हैं। इन्होंने अपनी करनी से किसी भी तरह से कोई कमी नहीं उठा रखी इस देश को तोड़ने

के लिए। पिछले दिनों इनकी हरकतों से तमाम देश सांप्रदायिक आग में जलने लगा, लेकिन कुछ सरकार की मुस्तैदी से, लोगों की समझदारी से, देरी ही सही लेकिन उस पर काबू पाया जा सका।

अगर देश में संविधान, एकता को बचाना है और देश को मजबूती देनी है, तो ऐसी फासिस्ट ताकतों को दबाना होगा और सख्ती से दबाना होगा। इसके लिए मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हों, चाहे वह लोकसभा में, या राज्य सभा में या विधान सभाओं में बैठे हैं, ऐसे लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए समाज में कटुता पैदा न कर सकें और अपने कलुषित आंदोलन में अधिक दुष्प्रभावशाली भूमिका अदा न कर सकें, इसलिए इन पर पाबंदी लगनी चाहिए और इनकी सदस्यतायें समाप्त होनी ही चाहिएं।

मान्यवर, मैं सरकार से फिर यह अपील करना चाहती हूं कि ऐसे दलों की राजनीतिक मान्यतायें तो समाप्त होनी ही चाहिएं, साथ ही उनके चुनाव चिन्ह को भी जब्त करना चाहिए। तभी यह देश बच सकेगा। और भारत एक विकासशील देश है। यहां पर बहुत सारी समस्यायें हैं। रोजी-रोटी की समस्या, विकास की समस्या, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के कारण ही एक बहुत बड़ी शक्ति, एक बहुत बड़ी जनशक्ति, बहुत बड़ी धनशक्ति, ऐसी ताकतों के द्वारा जो समस्यायें पैदा की जाती हैं, उन समस्याओं का सामना करने में देश की शक्ति खत्म होती है और देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में करते हुए यही समाप्त करती हूं कि सरकार को, अब समय नहीं है, इंतजार का समय नहीं है, अब समय आ गया है कि इनको सख्ती के साथ प्रतिबंधित किया जाये पूरा देश और पूरे देश के राष्ट्रभक्त लोग, पूरे देश की जो धर्म-निरपेक्ष ताकतें हैं सरकार के साथ हैं और सरकार सख्ती से इन पर काबू पाए। यही राष्ट्र हित में होगा, यही समाज के हित में होगा, यही जनता के हित में और यही भविष्य के हित में होगा।

यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं, धन्यवाद और आपने मुझे समय दिया आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, धर्म और राजनीति के अपवित्र गठबंधन के कारण इस देश का बंटवारा 15 अगस्त, 1947 को हो चुका है और वही भारतवर्ष आज तीन हिस्सों में बंट चुका है, भारतवर्ष, पाकिस्तान और बंगलादेश। आज फिर कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिनके कारण एक बार फिर देश में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न हो गया है। मैं अपनी बात, जो संविधान की प्रस्तावना है उस ओर ले जाना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि,

> "हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

जैसा कि मान्यवर, आपको विदित है कि 1976 में इसी घोषणा में दो शब्द और जोड़ गए सैकुलरिज्म और सोशलिज्म यानी पंथ निरपेक्षता और समाजवाद। पंथ निरपेक्षता का मतलब जो मैं समझ पाया हूं वह यह है कि हमारे भारतवर्ष में विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग रहेंगे। इस देश में आस्तिक भी रहेंगे, इस देश में नास्तिक भी रहेंगे। ऐसे लोगों को भी रहने का इस देश में अधिकार है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन किसी नागरिक को, किसी व्यक्ति को दूसरे धर्म का अनादर करने का अधिकार

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

नहीं है। इसलिए हमारे संविधान की परिकल्पना है : सर्व धर्म समभाव यानी जितने भी धर्म हैं उनको हम बराबर की दृष्टि से, बराबर के भाव से देखेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अहलुवालिया जी को आज बहुत निराशा होगी, क्योंकि जिस दृष्टिकोण को ले करके उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है इसके उद्देश्यों और कारणों में कहा है कि धार्मिक भावनाओं के आधार पर ही चुनावों द्वारा जनादेश प्राप्त करने के लिए सांप्रदायिक राजनीतिक दलों को अनुमति देना उचित होगा, यह भारतीय संविधान की भावना के नितांत विपरीत है और हमारे देश के आर्थिक उत्थान और न्यायपालिका की परंपरा के पूर्णतः विरुद्ध है। अब समय आ गया है कि ऐसे सभी राजनीतिक दलों पर पाबंदी लगाई जाए जो अपने वोट बैंक बनाने की खातिर लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और परिणामों की चिंता किये बिना देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर रहे हैं। अब सारा प्रश्न यह है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अयोध्या जा करके ही अपना चुनाव अभियान प्रारम्भ किया था मई, 1991 में। 1991 में चुनाव हो रहे थे तो श्री राजीव गांधी अयोध्या गए और उन्होंने कहा कि रामराज्य का सपना साकार करने के लिए हम चुनाव अभियान में जा रहे हैं। और इसीलिए हम अयोध्या में आए हैं अपना चुनाव अध्याय शुरु करने के लिए और जिस ओर श्री रामगोपाल जी ने ध्यान आकर्षित किया था और श्री बी0एम0 जाधव जी ने भी सहमति व्यक्त की थी और अपने भाषण में उन्होंने मांग की थी कि मुस्लिम लीग भी ऐसी पार्टी है जिस पर कि प्रतिबंध लगाना चाहिए। मैंने यहां इस बात को इसलिए कहा क्योंकि अहलुवालिया जी को निराशा होगी कि आज भी केरल में उनकी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है उसके कि उनका मुख्यमंत्री श्री करुणाकरन हैं गठबंधन मुस्लिम लीग से है और जहां तक मुझे याद है कि उसमें 5-6 ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो कि उस पार्टी के हैं तो सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को अपना दृष्टिकोण साफ करना पड़ेगा और वह इसलिए साफ करना पड़ेगा कि संविधान में तो अब जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको इलेक्शन कमीशन में जाकर जब अपना पंजीकरण कराना पड़ता है तो उस समय लिखना पड़ता है कि हम धर्म-निरपेक्षता में विश्वास करते हैं। लेकिन ऐसा लिखने के बावजूद भी वह राजनीतिक पार्टी है। तो आज देश में जो खतरा उत्पन्न हुआ है, सभी उससे लोग अवगत है, इसलिए यह जरूरी हो गया है कि इस बात का प्रबंध किया जाए, इसी बात की व्याख्या की जाए कि वोटों की राजनीति धर्म के नाम पर नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इसी को लेकर एक बार इस मुल्क का बंटवारा हुआ था और आज फिर राम के नाम पर जाकर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। हम किसी मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और इस खतरे से हमें अवगत होना चाहिए। जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं, मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जितने भी राजनीतिक दल हैं और उनमें जितने भी लोग हैं, सभी राष्ट्रभक्त लोग हैं। फिर भी राष्ट्रभक्त होते हुए हम को इस खतरे से भी अपने को अवगत करते रहना चाहिए कि अगर हम बार-बार वोटों के लिए राम के नाम का इस्तेमाल करेंगे, वोटों के लिए धर्म का इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारे देश की जो सामाजिक एकता है, राष्ट्रीय एकता है उसको खतरा उत्पन्न होगा। इसलिए उस खतरे से देश को बचाने की आवश्यकता है। एक बात की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 1976 में ही संविधान के अनुच्छेद-51 में डामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य जोड़े गए जिसमें कि सबक्लाज ए(ई) में कहा गया कि—

"51A. It shall be the duty of every citizen of India—

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogratory to the dignity of women."

तो इसी तरीके से जिस प्रकार से मौलिक अधिकार थे, मौलिक कर्त्तव्य भी जोड़े गए, लेकिन अगर इस देश का कोई नागरिक अपने मौलिक कर्त्तव्यों का उलंघन करता है या जो मौलिक कर्त्तव्य उसको संविधान के अनुच्छेद–51 (ए) के अंतर्गत दिए गए हैं, उनका अगर वह उल्लंघन करता है तो आखिर उसके लिए उसको क्या सजा मिलेगी? इसलिए मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि संविधान में एक बात का प्रावधान किया गया है कि हर नागरिक के कुछ मौलिक कर्तव्य होंगे और यदि उस मौलिक कर्तव्य का हम उल्लंघन करें, उस मौलिक कर्तव्य की भावना के विपरीत काम करें तो क्या सजा मिलेगी?

दूसरे, यह जो अहलुवालिया जी का विधेयक है इसके संबंध में आज ही मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि कल लोकसभा में गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि सरकार धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराने के संबंध में विधेयक लाएगी। तो जब मंत्री जी इस विधेयक के संबंध में अपना उत्तर दें तो मैं उनसे स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि जैसा गृह मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है कि सरकार इस संबंध में विधेयक लाएगी तो क्या वह विधेयक इसी सत्र में लाएगी या कब तक लाएगी? उसकी क्या सीमा उन्होंने बांधी है। एक और बात जिसकी कि ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि इस देश में जितने भी नागरिक हैं, सबका धर्म अलग-अलग हो सकता है, सब का मजहब अलग-अलग हो सकता है, लेकिन हम सब भारतीय हैं और भारत माता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, अपने देश के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा जो संविधान है और उसके जो मौलिक सिद्धांत हैं, जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन यह संविधान कोई ऐसा बाइबल नहीं है कि इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता या इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता या इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए आज समय की आवश्यकता को देखते हुए, देश की आवश्यकता को देखते हुए, सरकार को इस विधेयक के संबंध में अपनी स्पष्ट राय रखनी चाहिए और मैं निश्चित रूप से इस राय का हूं कि अहलुवालिया जी का जो यह विधेयक है, इसकी जो मूल भावना है, उससे मैं सहमत हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार को आज स्पष्ट रूप से आश्वासन देना चाहिए। इतना कहते हुए मैं अहलुवालिया जी के विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री जागीर सिंह "दर्द" (पंजाब): काबिले एहतराम वाइस चेयरमेन जी, जो रेजोलूशन एस. एस. अहलुवालिया जी ने पेश किया है, मैं उसकी दिल्ली हिमायत करता हूं। यह रेजोलूशन बहुत देर पहले सरकार की ओर से आ जाना चाहिए था, अब तो फिरकापरस्ती बड़ी बलवान हो गई है। इससे लड़ना बड़ा मुश्किल होगा।

वाइस चेयरमेन साहब, मैं आपकी तवज्जोह थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। महाराजा रणजीत सिंह जी जब बीमार थे, मौत और जिंदगी की घड़ियां गिन रहे थे तो उनकी नजर हिन्दुस्तान के नक्शे पर चली गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसके साथ बैठे हुए अमीरों, वजीरों ने पूछा कि बादशाह सलामत, क्या आप मौत से डरते हो? उसने कहा—नहीं। फिर कहा—मुझे बताओ, यह लाल लकीर हिन्दुस्तान के नक्शे पर क्या है? उन्होंने कहा—यह अंग्रेजों की निशानदेही देती है कि यहां तक अंग्रेज आ गए है। उसने कहा—मुझे डर है कि मेरी मौत के बाद यह लकीर पंजाब को भी खा जाएगी। यही बात हुई, सन 1839 में उनकी मौत हुई और सन 1849 में हमारा सारा पंजाब अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और सारे मुल्क में उनकी सरकार कायम हो गई। उसके बाद 1857 में उनके खिलाफ पहली जंगे आजादी की लड़ाई हिन्दुस्तानियों ने लड़ी और बहुत बेरहमी से, बड़ी सख्ती से उसको दबा दिया गया। उसके बाद अंग्रेजों ने यह सोचा कि यह लोग

श्री जागीर सिंह दर्द

इकट्ठे नहीं रहने चाहिएं। उन्होंने जो आर्मी थी, उसमें मुस्लिम रेजिमेंट, सिख रेजीमेंट, महार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट ऐसी बिरादियों के नाम पर रखना शुरू कर दीं। इससे नफरत बढ़नी शुरू हो गई। उसके बाद इसी तरीके से एजुकेशन को भी उन्होंने शुरू किया कि यह मुस्लिम स्कूल है, यह हिन्दू स्कूल है, यह सिख स्कूल है और फिर यूनिवर्सिटी का भी इसी तरह से किया कि हिन्दू युनिवर्सिटी बनारस की और यह अलीगढ़ की मुस्लिम युनिवर्सिटी। इस प्रकार एजुकेशन में भी जहर भर दिया। नतीजा यह हुआ कि जब यहां से पास होकर गए, लोग ग्रेजुएट बनकर गए तो कोई अखबारात यमें चला गया, कोई पोलिटिक्स में चला गया, लेकिन सोच उनकी वही रही, नेशनलिस्ट सोच जो थी वह उनमें नहीं थी। इसी तरह पोलिटिकल पार्टीज भी धर्म के नाम पर बननी शुरू हो गईं। नतीजा यह हुआ कि इस मुल्क की डिवीजन हुई। अब देश को बचाने के लिए जरूरी है कि धर्म और राजनीति इकट्ठे नहीं चल सकती, जैसे आग और पानी जो हैं इकट्ठे नहीं रह सकते क्योंकि आग का अपना फंक्शन है और पानी का अपना है और दोनों का अपना इन्सान से गहरा ताल्लुक है। अगर दोनों को इकट्ठे कर लो तो दोनों की जिंदगी खतम हो जाती है और किसी काम की नहीं रहती। इसी तरह धर्म और राजनीति जब इकट्ठे हो जाएं तो दोनों का ही भट्टा बैठ जाता है। आज जो हम इसको बैन करने चले हैं, मैं इसकी हिमायत करता हूं।

वाइस चेयरमेन साहब, कानून की आंख होती है और कानून ब्लाइंड भी होता है। मैं यह पूछना चाहता हूं अपनी सरकार से, कि यह अंधा कानून होगा या आंखों वाला होगा? आंखों वाला कानून तो देखता है कि किस पर लगना है, किस पर नहीं लगाना और जो ब्लाइंड होता है वह किसी से रियायत नहीं करता, किसी की सिफारिश नहीं मानता और वह लग जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह कानून हमारा ब्लाइंड कानून होना चाहिए ताकि सख्ती से हम उसका मुकाबला कर लें। इसके लिए आपको कंस्टीटुएशन भी चेन्ज करना पड़ेगा। जब तक आप कंस्टीटुएशन चेन्ज नहीं करोगे यह तबदीलियां एजुकेशन में नहीं आ सकेंगी और भी कहीं नहीं आ सकेंगी। इसलिए हमको कंस्टीटुएशन चेन्ज करना पड़ेगा।

अभी बात नाथुराम गोडसे की चली, मैंने नाथूराम गोडसे के स्टटमेंट का कुछ हिस्सा पढ़ा है। उससे जब पूछा जज ने कि गांधी जी को क्यों कत्ल किया? उसने कहा कि यह नेशनल इण्टरेस्ट था इनको मारना। इनका नेशनल इंटरेस्ट क्या था? चूंकि वह एक फिरके के राज्य के खिलाफ थे, वह मुशतर्का, सांझा और सेकुलर राज्य चाहते थे इसलिए उनको अपने रास्ते से हटा दिया गया। यह उनका इरादा था।

आखिर में, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि इनको बैन जरूर करना चाहिए और दूसरी बात यह है कि आर.एस.एस., हिन्दू परिषद्, हमारे अकाली दल, यह साधु सन्त जिनकी गिनती 90 लाख है,... दूसरी बात यह है कि यह आर.एस.एस. हिन्दू परिषद् हमारा अकाली दल, यह साधु-संत 90 लाख हैं। बी.ज.पी., शिव सेना, यह मुस्लिम लीग सारे के सारे इकट्ठ हो जाएंग और इन सब को बैन करना चाहिए और इनकी पीठ पर हिन्दुस्तान का जो धनी है, जो अमीर है वह भी आएगा। यह जो सिरकापरस्ती है, इसका मुकाबला बहुत सुरती से करना पड़ेगा। मुझको याद आ गया कि जब सेकेंड विश्व युद्ध में एक एसी पोजिशन आ गई थी कि इंगलैंड खत्म हो रहा है तो चर्चिल ने नेशल को एड्रस करते हुए कहा था कि:

"If ou run before the difficulty, it will double. If you face it, it will get reduced to half."

अपने होम मिनिस्टर साहब बैठ हैं। मैं उनको यही बात कहना चाहता हूं कि यदि सख्ती से इनसे नहीं निबटोगे तो इस मुल्क में लोगों में कोई भी चीज कॉमन नहीं। न सलाम एक, न कलाम एक, न वधान एक, न लिबास एक, न खुराक एक। सिर्फ सेंट्रल का जो डंडा है वह मजबूत डंडा ही कॉमन है। अगर डंड के साथ इसको दबा देंगे तो ठीक है।

"ए दाग तुम्हें वस्ल की तदबीर बता दी,
तकदीर का जिम्मा तो यहां हो नहीं सकता।"

जय हिन्द, शुक्रिया।

(**The Vice-Chairman (Shri V. Narayanasamy)** in the Chair.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN (Madhya Pradesh): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. This Bill has been moved by a very dear friend of mine who, I think, is a brave man and I have a lot of respect for him because I think he believes in the politics of principles. But this Bill connotes politics of escapism, of opportunism, and tries to change the meaning of words. Therefore, to a certain degree I am disapponited. This This country has believed in Satyameva Jayate which means that truth shall prevail. But if you start believing in principles which are opposite to Satyameva Jayate then whatever prevails is no the truth. We would be attacking the basic tenet of Indianism and Indian civilization and this is the tendency that I am seeing today when I sit through this debate here. It seems to me that words are losing their meaning. The word 'Fascism' is being used often. I was surprised when my Communist colleague here, another lovely Member of this House, was referring to it. She has left now. I wanted her to hear what I had to say to what she sad. She was all the time referring to Hitler, Fascism, and Nazism. A Communist no more quotes Marx, Lenin and Mao Zedong now. She was referring all the time to Germany and German literature. I am not angry. But I pity them. They are advocating a theory which has failed. Now they are groping in the dark and in their effort and in their helplessness they start abusing a party, that is, our party. The present Bill talks of banning political parties all the time. Some hon. Members have been talking of the RSS. The RSS is not a political party. They are talking of issues which are not issues of this century. They are issues which have confronted the nation for the last 800 years. The RSS was not born then. The RSS was born in 1925. Many people are blaming the BJP for the ills which have confronted the nation for centuries. The BJP was not even born then. This is a gross distortion of facts. There is a gross misunderstanding of issues. My problem is whether it is possible to explain to them and make them understand. But they under stand. It is not

(THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) in the Chair.

matter that they don't understand but it is that they pertend not to understand or they create a misunderstanding to suit their political aspects, their political interests, which is costing this nation very dearly. Now, who are fascists? They are the Government and the ruling party Members. Another lovely lady of this House, Smt. Satya Bahin—she too has left—talks about the use of maximum force against us. Is this democrtic language or is it the language of fascism? And this Congress Government does not allow the principal opposition party to hold a political rally. It takes prde in it... (*Interruptions*)

श्री एस०एस० अहलुवालिया : जैन साहब, मैंने तो बी० ज० पी० का नाम लिखा नहीं इसमें... (व्यवधान)

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : नहीं, मैं सत्या बहिन की बात कर रहा था।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : बिल में आपका नाम लिखा नहीं। क्यों आप पकड़ रहे हैं कि आपको ही कहा जा रहा है... (व्यवधान)

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : आप बैठ जाइए ना। मेरी बात सुन लीजिए।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): The only problem with Dr. Jain is that he does not speak, he only answers others.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Sir, there are many problems that this country is facing. Let us not put this country under the burden of individual perceptions of some hon. Members. As I said, truth shall prevail. Truth should prevail not that whatever prevails is the truth. And the real problem is that what was prevailings so far has now been exposed. People are not willing to buy that pseudo-secularism which has divided this country which has kept large segments of the Indian population as blind vote-banks, which has exploited them, given them no economic development, given them no real improvement in their quality of life and given large chunks of the people of this country totally unfair treatment, I say, in the name of secularism and the failure of that secularism, which we rightly call as pseudo-secularism, is what is creating the problem. If it is a question of fighting a political battle, please, you are welcome. All of us must do that and this freedom of the country, this Constitution that we have, very much permits all of us to put our viewpoint before the people of the country who are supreme. They will opt for whatever they think is right. The whole problem is that the people who are now losing the political battle, who are now losing the ideological war, the people who are now feeling that they are not willing to go with them, are now resorting to the means which are not democratic. They call us the fascist party and behave and take recourse to all the established fascist ways of political life, banning of our rallies selectively and allowing all the rallies of the ruling party of the country. Is it not fascism? Is it democracy? You dismiss the democratically elected Governments with their majority intact in the Legislatures. Is that not fascism? And the people who continued to adhere to the democratic path and put their viewpoints through courts, through people, you call them fascists. Is it not a complete chance of the meaning? What is fascism and what is democracy? This should be judged and it is not that you can afford to call yourselves what you like an call others, who you feel today are the people who are trying to take over the reins from you, what you like. After all who are the masters? Who should decide as to what should be the politics? These are the people of India. Now, the people of India seem to be agreeing to a political party. You try to change the Constitution itself. You try to change the rules of the game the moment you feel that now you have lost the game. This is unfair politics. This is not worthy of the politics coming from brave people like Surinder Singh Ahluwalia. Losing or winning is.... Interruptions)

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Ahluwalia doesn't want your certificate.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Losing and winning are a normal part of any political or ideological battle. What is important today is a sense of fairness, sense of equality of opportunity and not opportunism. Please don't bring opportunistic policies as a new principle of politics as some people are trying to do here. What is the real motive of the presnet Bill which hon. Shri S. S. Ahluwalia has introduced in this House? If it is fighting communalism, if it is fighting fissiparous tendencies, if it is fighting these forces who are acting

against the interests of this country, I would have supported him because I, as an individual, and my party, as a collective group of people, always believe in fighting such forces or theories or ideologies which are against our nation in particular and against the principles of humanism in general. We are not limiting our concern to the people living within the geographical boundaries of our country because the principle which we believe in is Indianism and let me be on record that in my understanding and in my party's understanding, Hinduism, Indianism and Bharatitism are all synonymous. Please don't try to put words into our mouth. When we use these words, please try to understand what we are thinking and what is their meaning in our minds. If you want to fight destructive forces, fissiparous tendencies, we say 'yes'. But if you want to fight an unfair political battle in the name of fighting communalism, that is a mistake. To that we say 'no'. We believe in secuarism because we believe in every word of the Constitutiontion and secuarism is not opportuism. The Congress Party's secularism is nothing but opportunism because in the name of secularism, what are you trying to do? You want to crush opposition. For this we say 'no'. If you want to kill democracy in the name of securarism, we say 'no' to that. If you want to crush the voice of dissent, we say 'no' to that.

People are saying, "ban the communal parties". Do you have the courage, conviction and honesty to analyse and face the truth? I think if we see the principles and the actions, the most communal party today is the Congress party. Some Members have said rightly just now—Shri Satya Prakash Malaviya has referred to this—Muslim League's history is known to everybody, its principles are known and it continues to be a partner of the ruling party in Kerala. The Congress party, when it goes to Mizoram, a small state of five lakh people, says that it would like to have Christianity as the religion of that State.

Today we are blamed that we are a Hindu party and we have repeatedly said that while the BJP is not ashamed of being called a Hindu party, it does not mean that we are against anybody. I would like to make a categorical statement that we are are not against any creed. We are not agianst any Caste. We are not against any community. We are not against any religion. We are not against Muslims. This is all propaganda.

SHRI V. NARAYANASAMY: Did you read your leader, Mr. Advani's statement today?

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Will you restrain yourself, my friend?

SHRI V. NARAYANASAMY: In this statement, he said, "If the Muslims are against our party, against our Hinduism, I am not bothered and we will take an anti-Muslim stand."

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Will you restrain yourself, my friend?

SHRI V. NARAYANASAMY: Don't preach sermons here.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Everybody here can expres his viewpoint and there should be the voice of sanity.

SHRI V. NARAYANASAMY: But you should not distort facts as a political party.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: The voice of sanity should not be submerged by its propaganda and that is what my dear friend, Shri V. Narayanasamy, is precisely trying to do here today.

SHRI V. NARAYANASAMY: You are distorting the facts and your leaders are distorting the facts. Now, by telling this you are trying to mislead the nation.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Mr. Narayanasamy, I am making a responsible statement on my behalf and on behalf of my party. This is a statement which is not being made for the first time. We are, after all, a political party. We have a party constitution, we have a party manifesto and we have a party programme. Members of any religious faith can join our party.

SHRI V. NARAYANASAMY: Your party leaders have said that the Muslims should go out of India. The BJP leaders have said that they will send all the Muslims to Pakistan.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Mr. Narayanasamy, let him complete. When your chance comes, you can speak. Yes, Mr. Jain, you keep on speaking.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: What I am trying to say is that this propaganda that the BJP is anti-Muslim, that the BJP wants the Muslims to be thrown out of this country, this disinformation campaign is precisely what is destroying this country, and not what we preach and practise. We want the unity of this country and we want equal opportunities to be provided to all. We believe that India is one nation and one people. We do not want to see one segment of the population as privileged and another not so. We want equal opportunities in all aspects. whether they are economic or social or any other aspect of development. Is this fascism? Is this communalism? Or is this something for which you are trying to coin a fancy word? It will not help. But it is my duty to tell the countrymen the truth and it is because the countrymen are now appreciting that the present pseudo-secularism that has been practised so far is wrong, is bad, and the "Sarva Pant Samabhav" or 'Sarva Dharma Samabhav" is true secularism which the BJP is preaching and practising and which has to be preferred. That is why the people's faith in us now is causing problems for them and not any other thing. I am a doctor and in the background of my development from a village boy to the present position, the whole thing is based on mental training and that is, "Diagnose and then treat.". The real diagnosis lies elsewhere and the treatment also is different.

Now, some of the people some of the my friends, in the Congress (I) Party are very enthusiastic. They have made some demands. For example, they have made a demand for the freezing of the election symbol of the BJP. Why? Because it is a religious symbol! But I have to remind them that the Congress had the cow and calf. Is it not a religious symbol? Whatever they do is good and whatever the Opposition does in a sin! This is not democratic thinking. Democratic thinking is giving respect to the Opposition voice and it is the people of India whom you have to fight politically, ideologically. Don't try to manipulate things just because today you happen to be in power.

Another demand was made here that there should be a ban on saints and Hindu priests! Sir, can anybody imagine that this kind of a demand can be made in this country? The Constitution guarantees freedom of worship. How can such irresponsible remarks be made by some responsible Members of this House and that too by the responsible leaders of the ruling party? It is unthinkable. But this is being done. It is because they do not believe in "Satyameva Jayate", but they think that whatever they say is the truth. This will destroy this country.

Another Member demanded that our membership of Parliament, whether of the Lok Sabha or the Rajya Sabha, should be forfeited. In which Constitution is there such a provision? To which Constitution are they referring? How can the people who have been elected by the people of

India through democratic means be deprived of their membership of Parliament? How can you take away the membership of Parliament of the BJP Members who have been elected by the people of India? But this demand was made here today. Then the other demand was that the election symbol of the party should be frozen and that there should be the use of maximum force against us. Those people who demand the use of maximum force against their political opponents, what do we call them? It is up to them.

Sir, this is the year 1993. It is the centenary year of the year 1893. There were two important events that had taken place in the year 1893 which I would like to remind the House. One was Mahatma Tilak.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Now you try to conclude.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Just I am concluding.

Sir, Lokmanya Tilak, Mahatma Tilak was fighting the battle for Swaraj, fighting for the freedom of India, fighting for the liberation of Indians from political, ecoonmic social and mental slavery And he started the Ganesh Ustav in Maharashtra. He started referring to the name of Chhatrapati Shivaji. Sir, I have read some literature and some articles of those days where some references were made. The way some people are calling us communalists today, Mahatma Tilak was also called a communalist. The way osme of those people saw distortions, in the same way, some of our friends are seeing them today. But the time has proven that what Mananiya Lokmanya Tilak did was good for this country. Another great man to whom I would like to pay my homage and whom I would like to remind this nation today is the great man Vivekananda. In 1893, this Saint of India—some of my colleagues want that all saints should be banned in this country—one of these ordinary-looking saints went to Chicago in 1893 and very proudly told the World Religious Congress, the Parliament of Religions, that Hinduism is not a narrow sectarian concept. He explained that Hinduism is not an 'ism' of few, but it is a world religion, it is a message of welfare for the universal mankind. Sir, are we not proud of Mahatma Tilak, are we not proud of our great seer, Swami Vivekananda? And a century after that, in this centenary year, this attempt to amend the Constitution by a person like Mr. Surendra Singh Ahluwalia, who belongs to the great tradition of Guru Gobind Singh who created Khalsa Panth, who used religion to fight the attempts to enslave this country—when I am talking on this Bill, the names of such great leaders like Swami Vivekananda, Tilak and Guru Gobind Singh come to my mind—is totally misplaced. This amendment to the Constitution is attempted to be made not for something noble but to avoid a political defeat which is a defeat of their ideology which is the defeat on their hollow politics, which is the defeat of their promises to the people which have not been kept. Let us be honest. I would say, as a humble worker of my party, let us not try to save ourselves and our personal politics by distorting the Constitution. This does not go well with their thinking of the Indian life.

I will give only one example, which is the example of contemporary politics. I am not referring to century-old things. I am referring to a leader whom I also respect very much, Mrs. Indira Gandhi. She was our hon. Prime Minister. She was a very popular leader of this country. Somehow, after the Allahabad High Court judgement, she lost nerves and imposed emergency. After that, somehow, the great lady must have thought that elections should be held. and the elections were held. The national verdict went against her and a powerful leader, a popular leader of her

[Dr. Jinendra Kumar Jain]

stature, was defeated by a party which was just formed. Why? It was because the people of this country did not support her emergency measures. But Mrs. Gandhi had her relevance because after the Janata Party experiment failed, she was again elected back to the office. Even if a person of the stature of Mrs. Indira Gandhi derails the normal politics of this country, and plays with the basic principles of the Indian Constitution, the people of India do not forgive. What do I advise my friend, Mr. Ahluwalia? If a person of his stature, which definitely is very high, tries to tinker with the Indian Constitution for personal partisan political game, what will be the fate of such people in the history of this country? It is for him to conclude. But with all humility, with all sincerity, I would like to oppose the motive behind such a Bill and I would say that let us be fair. Let us have faith in the people of India, have faith in our respective parties and our ideologies. Let us go to them. They are the best judge. Don't try to play unfair games. Thank you.

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Vice-Chairman, thank you for giving me this opportunity to speak. Our hon. friend, Shri Ahluwalia has brought this Bill which has been in the mind of every common man and politician of this country for the reason that religion has been used to the maximum for political gains by some political parties in this country.

In the Constitution and also in the Representation of the People Act, there is a provision to the effect that religion should not be mixed with politics and the political parties should not use the religious sentiments of the people for their political game. In spite of it, Sir, the political parties and their candidates during the time of elections have been fully utilising the communal sentiments of the people of this country for a political advantage. And this has been solely practised by one political party which is claiming to be the major Opposition party in the country today. In 1984, they used the card of the religion and sentimental feelings of the people of this country and the people rejected them. They got only two Lok Sabha seats. In 1989, they used Lord Rama on the Ayodhya issue and gained something out of it and they found that the vote bank is there in Ayodhya, and in the name of Lord Rama in 1991 Parliamentary elections, they went all out in the name of Lord Rama and tried to kindle the religious sentiments of the people in the name of Hinduism. They said that they were the only persons who could save the people of the country, that theirs was the only party which could protect the interests of the majority community, the Hindu Community, in the country, and that the other political parties, particularly, the Congress, were not taking care of the interests of the majority community. Therefore, they could gain something which I frankly admit.

Sir, mixing religion and politics is nothing but criminalisation of politics. India is a secular country where people of all faiths, religions, communities, are living as brothers and sisters. Not only that The people of all religions live in harmony, whether it is a Muslim-dominated area or a Christian dominated area or a Hindu-dominated area. This kind of a secular outlook is the speciality of our Indian nation. It has been widely acclaimed by the nations of the world. But this fabric, this democratic and secular fabric, is being sought to be destroyed by the forces of religious fundamentalism which has been perpetrated by one political party which calls itself to be the major political party.

Under these circumstances, this Bill is a vital necessity for the nation, for the purpose of saving the country from the menace of religious

to dilate on two or three important points which, I hope, the hon. Members in the House, belonging to the B.J.P., will try to appreciate.

When the issue of construction of Ram *mandir* at Ayodhya was taken up in a very vigorous manner, when a campaign was launched, not only by the B.J.P. and its allies, i.e. the V.H.P., the R.S.S. and the Bajrang Dal, as well as some *sadhus* and *munis*, who, they claimed, also wanted the construction of Ram *mandir* at Ayodhya, they took a decision that Shri Advani, the leader of the B.J.P., should take out a *Rath Yatra* across the country. At that time, Shri V. P. Singh was the Prime Minister of the country. At that time when the *Rath Yatra* was taken out, we, as a major political party opposed it for the simple reason that it would lead to communal disturbances in the country, chaos in the country, and that by doing it, the B.J.P. was trying to spread religious fundamentalism, that it was not for secularism. At that time, our great leader, Shri Rajiv Gandhi, said openly, told the people of the country, that this *Rath Yatra* was nothing but fanatacism and religious fundamentalism. And Sir, what was said by our great leader came true. Shri Advani made this *yatra* *not* as a religious tour, used this yatra not as a means of getting the support of the people, the Hindus but made it a political platform and used in his *ratham* the lotus symbol, which was the symbol of his party, and he preached the B.J.P. ideology, himself saying that he was going to propagate *Hindutva* and Hinduism in the country. We know what happened. Immediately after the *yatra* left important cities and towns, communal clashes started. Thousands of people were killed. Our brothers and sisters were killed, belonging to both the major religions. Both Hindus and Muslims were killed. Who was responsible for this criminal act? Who was responsible for the communal disturbances in the country? By taking out this *Rath Yatra,* what did he achieve? That was the big question mark. Their intentions were very clear. The B.J.P. wanted to fully cash in on the Hindu sentiments. They wanted to propagate *Hindutva* in the country. By this, they wanted to achieve their political ends. Therefore, Sir, the *rath yatra* was abruptly stopped. Shri V. P. Singh arrested Shri Advani, and the Government headed by Shri V. P. Singh also fell. Thereafter, the new President of the BJP came. We thought that he would be secular, but unfortunately he is more theocratic and religious fundamentalist like the other leader. He started an *ekta yatra* in the name of uniting all the religions in the country, which itself is farce. He also started using the Lotus symbol on the *rath yatra.* He started giving speeches in the name of the BJP. He started his *rath yatra* from a southern part of the country. He wanted to go up to Srinagar. There also we cautioned him. We told these leaders who wanted to utilise fully Hinduism and Hindu sentimental feelings of the people of this country for their political ends. We told them, "This is going to create communal holocaust throughout the country. You are trying to divide the people of this country in the name of religion. Kindly stop it." They did not heed to what we said. The *ekta yatra* went to Srinagar, and in Srinagar militants fired at the people who were going in the *rath yatra.* Thereafter, the Government had to give protection to the President of the BJP for the purpose of hoisting the flag, at which only police was there and public was not there. This was the result of the *rath yatra.* What was achieved by this? You tried to divide the people of this country in the name of religion. Communal organisations in the country were rightly banned by our hon. Prime Minister, Shri Narasimha Rao. The BJP made a scathing attack on the Congress Party, saying, These are all religious organisations. They have nothing to do with communal sentiments of the people in this

[Shri V. Narayanasamy]

country. Therefore, banning of these organisations is bad." They have filed various petitions before various High Courts, and those petitions are pending.

What happened to the BJP, the RSS and the Bajrang Dal volunteers who are in these organisations, especially in the VHP? They collected huge funds in the name of religion. They are collaborating with the BJP even today. They are openly propagating the BJP policies, the ideologies of Hindutva, even today. I request the hon. Home Minister and the Minister of State who is sitting here to do this. Crores of rupees they have collected, the VHP collected, from various international organisations and also within the country. When we sought clarifications, the hon. Home Minister informed that the funds have been frozen by the Government. When the ban order came, they withdrew most of the funds, crores of rupees, and those people are keeping these funds in various names. They have to be interrogated. The hon. Minister should take action against them. These funds they are using for the purpose of criminalisation of politics in the name of religion. This is a very vital thing which the hon. Minister has to find out. He has also to find out their nexus with foreign agencies. That is a very important aspect because in the name of religion so many activities are going on.

Not only that, but the VHP, the Bajrang Dal and the RSS workers have gone underground. Some of their activists have gone underground, and they are operating from there since the organisations have been banned.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: That is a failure of your Government.

SHRI V. NARAYANASAMY: It is not a failure of our Government. The Government is taking action. Wherever there is a flaw, I am telling the Minister to take action which I am entitled to. Therefore, you cannot say that it is a failure of our Government.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): You had encouraged them so much that we are taking time to control them.

SHRI V. NARAYANASAMY: These people even today are underground, and they are working hand-in-glove with the BJP. This is my charge in this House. Even inside and outside this House the BJP is showing its sympathy for these banned organisations. When some hon. Members opined that the membership of the persons who were in communal organisations should be taken away, Dr. Jain was objecting to that. I submit that some of the persons who are activists of the BJP or the RSS are even now Members of the Lok Sabha. The President of the Bajrang Dal, a banned organisation, is still a Member of the Lok Sabha. I would like to know whether his membership is to be retained. It should not be. The BJP is saying that they have nothing to do with that. The BJP is playing a dubious game. Here the BJP people say they are pious people, they are religious people, they do not want to mix religion with politics, but to the outside world they are telling that they are the suffering class of people. They are going to them to peach Hinduism and saying "kindly give your vote to the BJP." This is their theory. They should not be allowed at any cost to go ahead with this.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): It is now 5 o'clock You will continue on the next day when the Private Members' Bill is taken up.

There are a few Special Mentions. We will now take them up. Shri V. Rajan Chellappa—not here. Shri Gaya Singh—not present.